

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**ORIGINAL APPLICATION NO 164/2024 (CZ)**

**Jagrat Agarwal & Ors.**

**Applicant(s)**

**Vs.**

**MoEF&CC & Ors.**

**Respondent(s)**

**INDEX**

<b>SNO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>ANNEXURE</b>	<b>PAGE NO</b>
1	Action Taken Report by Madhya Pradesh Pollution Control Board in compliance of order dated 12.12.2024		1-4
2	Letter dated 13.12.2024 send to Chief Executive Officer, Municipal Council, Shivpuri, for compliance of order dated 12.12.2024	Annexure-1	5
3	Application filed before the CJM court, Shivpuri against the Municipal Council, Shivpuri for adding the Current CMO, Muniicpial Corporation Shivpuri and EE, PHE, Shivpuri Divison as accused in the complaint case	Annexure-2	6-108

**Place: Bhopal**

**FILED BY MPPCB**

**Date: 11.02.2025**



**ADV PARUL BHADORIA**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
**ORIGINAL APPLICATION NO 164/2024 (CZ)**

**Jagrat Agarwal & Ors.**

**Applicant(s)**

**Vs.**

**MoEF&CC & Ors.**

**Respondent(s)**

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MADHYA PRADESH**  
**POLLUTION CONTROL BOARD**

**IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE IN UNDER:-**

1. That, the present application was filled by the applicant alleged non-compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and discharge of untreated water into the water bodies/lake in violation of the Solid Waste Management Rules, 2016.
2. That, MPPCB had earlier filed the complaint before the Chief Judicial Magistrate, Shivpuri under section 25, 24, 44, 45A of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 .which was submitted before the tribunal vide action taken report dated 11.12.2024. Thereafter, The Hon'ble Tribunal vide its order dated 12.12.2024 directed as under-:

*“(1) Discharge of untreated water into the water bodies are still been continuing though STP has constructed but sewer line and house hold connections are yet to be completed.*

*(2) The committee observed that some of the structures are shown in the water body coming within the purview of encroachment.*

*The District Magistrate, Shivpuri, Chief Executive Officer, Municipal Council, Shivpuri and State Pollution Control Board are directed to take necessary actions and to ensure that there should not be any discharge of*

*untreated water into the water body and encroachment if any found as pointed out by the members of the joint committee must be removed according to rules. Further Action Taken Report may be filed within three weeks.”*

3. That, in compliance of the above order dated 12.12.2024 MP PCB has sent letter no 1172 dated 13.12.2024 to chief Executive officer for necessary action and compliance of the direction passed by The Hon'ble Tribunal. **Letter enclosed for reference as ANNEXURE-1.**
4. That, the MPPCB has also impleaded the current chief municipal council, shivpuri who is responsible for ensuring that untreated water is not discharged into the water bodies. Further, the Executive Engineer , Public Health Engineering Department, Shivpuri division has also been added as a accused in the criminal case filed earlier since he is responsible for for construction of the sewage treatment plant. **The relevant document enclosed for reference as ANNEXURE-1.**
5. The Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the aforesaid action taken report on record.

**Place: BHOPAL**

**FILED BY MPPCB**

**Bhopal Date: 11.02.2025**



**ADV PARUL BHADORIA**  
**Advocate for MPPCB**  
**Ph.No.:(+91)-8085977111;**  
**Email: parul.bhadoria04@gmail.com.**



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प, विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112  
ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com  
दूरभाष नं. 07544-274098



क्रमांक 1172 क्षे.का/प्र.नि.बो./2024  
प्रति,

विजयपुर, दिनांक. 13/12/2024

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद, शिवपुरी

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने बाबत।

संदर्भ:- मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 164/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 164/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 में आदेशित है कि:-

- (1) Discharge of untreated water into the water bodies are still continuing though STP has been constructed but sewer line and house hold connections are yet to be completed.
- (2) The committee observed that some of the structures are shown in the water body coming within the purview of encroachment.

The District Magistrate, Shivpuri, Chief Executive Officer, Municipal Council, Shivpuri and State Pollution Control Board are directed to take necessary actions and to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the water body and encroachment if any found as pointed out by the members of the joint committee must be removed according to rules. Further Action Taken Report may be filed within three weeks.

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है एवं लेख है कि, शिवपुरी शहर के घरेलू दूषित जल को बिना उपचार के नालों के माध्यम से वर्तमान में माधव नेशनल पार्क, में स्थित सांख्य सागर झील में निस्सारित किया जा रहा है। पूर्व से निर्मित दूषित जल उपचार संयंत्र के माध्यम से घरेलू दूषित जल को उपचार कर उसका उपयोग बागवानी, सिंचाई व अन्य कार्यों में करना सुनिश्चित करने एवं किसी भी परिस्थिति में उक्त अनउपचारित दूषित जल-मल प्राकृतिक जल स्रोत (सांख्य सागर/चांदपाटा झील) में निस्सारित न होने पावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक क्षे.का/प्र.नि.बो./2024  
प्रतिलिपि:-

विजयपुर, दिनांक.

1. सदस्य सचिव महोदय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर लेख है कि, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।
2. कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।
3. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।
4. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

## ANNEXURE-2

### समक्ष न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी महोदय शिवपुरी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा सुश्री सलोनी खेमरिया पुत्री श्री  
बृजकिशोर खेमरिया, उम्र-27 वर्ष, रसायनडा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण  
बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, टैकर पार्किंग एरिया, विजयपुर जिला-गुना  
(म.प्र.)

परिवादी

धनाम

1. नगर पालिका परिषद, शिवपुरी, तहसील व जिला-शिवपुरी (म. प्र.)

अभियुक्तगण

पूर्व में उल्लेखित अभियुक्तगणों के साथ निम्न अभियुक्तगणों को मूल: प्रकरण में जोड़ने हेतु आवेदन

1. वर्तमान मुख्य नगरपालिका अधिकारी, श्री इशांक धाकड़,
2. श्री एल.पी.सिंह, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, खण्ड शिवपुरी

परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 24, 25, 44, 45 ए

जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974

माननीय महोदय,

परिवादी की ओर से सादर परिवाद निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

- (1) यह है कि, मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 164/2024 (जाग्रत अग्रवाल एवं अन्य विरुद्ध पर्यावरण दान एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 में नगरपालिका शिवपुरी क्षेत्र से उत्पन्न शहरी जल-मल बिना उपचार के प्राकृतिक जल स्रोत (माधव राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर सांख्य सागर झील) में निस्सारित कर उसकी गुणवत्ता खराब की जा रही है, जो जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम 1974 के अनेक प्रावधानों के उल्लंघनों से संबंधित है। आदेश की छायाप्रति परिशिष्ठ 01 के अनुसार है।
- (2) यह है कि, मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 24.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 27.08.2024 को संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रेषित किया गया था। जांच प्रतिवेदन परिशिष्ठ 02 पर संलग्न है।
- (3) यह है कि, संयुक्त जांच प्रतिवेदन के साथ संलग्न 09 में कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, खण्ड शिवपुरी के पत्र क्रमांक 2555 परि/का.यं./लौ.स्वा.या.वि./ खण्ड शिवपुरी दिनांक 27.08.2024 की परिशिष्ठ 03 है में उल्लेख किया गया था कि शिवपुरी झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शिवपुरी शहर में लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा सीवर लाईन बिछाने एवं घसारही फार्म पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो कि पूर्णतः की ओर है। शिवपुरी शहर में बिछाई गई सीवर लाईन के सभी जोनों का गंदा पानी पाइप लाईन के माध्यम से करबला के पास स्थित जंक्शन चैम्बर में आता है, इस चैम्बर को मेन लाईन में जोड़ा जाना है। अतः उक्त सीवर चैम्बर को मेन लाईन से जोड़ने में लगभग 15 दिवस का समय लगाना संभावित है। जिसके उपरांत सभी जोनों का गंदा पानी/सीवेज, पाइप लाईन के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचेगा। वर्तमान में करबला पर शहर का सीवर जो कि सांख्य सागर में मिल रहा है। आज दिनांक 27.08.2024 से 15 दिन के उपरांत डायवर्ट कर एस.टी.पी में ले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) यह है कि, उक्त पत्र का पालन कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड शिवपुरी द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है, जिस कारण से नगरपालिका शिवपुरी क्षेत्र से उत्पन्न शहरी जल-मल बिना उपचार के प्राकृतिक जल स्रोत (माधव राष्ट्रीय उद्यान के अन्दर सांख्य सागर झील) में निस्सारित कर उसकी गुणवत्ता खराब की जा रही है।

(5) यह है कि, मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 की छायाप्रति परिशिष्ट 04 में आदेशित है कि

1. The issues raised in this application are discharge of untreated water into the water body/lake throwing the municipal solid waste into the water bodies in violation of rules and to examine the matter, a committee was constituted with direction to submit the factual and action taken report. The Members of the committee visited the site and submitted the report with following two serious objections :

- i. Discharge of untreated water into the water bodies are still continuing though STP has been constructed but sewer line and house hold connections are yet to be completed.
- ii. The committee observed that some of the structures are shown in the water body coming within the purview of encroachment.

2. In view of the above, the Learned Counsel for the applicant sought a short time to file the response on the joint committee report. Respondents are directed to submit the reply within two weeks. The District Magistrate, Shivpuri, Chief Executive Officer, Municipal Council, Shivpuri and State Pollution Control Board are directed to take necessary actions and to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the water body and encroachment if any found as pointed out by the members of the joint committee must be removed according to rules. Further Action Taken Report may be filed within three weeks.

3. Applicant is directed to inform by way of issue of notice to the respondent /District Magistrate, Shivpuri and the Municipal Council, Shivpuri to file the response, if any

(6) यह है कि, उक्त आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर जिला गुना, द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, शिवपुरी को पत्र क्रमांक 1172/क्षे.का./प्र.नि.बो/2024 विजयपुर दिनांक 13.12.2024 द्वारा निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 164/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 में आदेशित है कि:-

- (1) Discharge of untreated water into the water bodies are still continuing though STP has been constructed but sewer line and house hold connections are yet to be completed.
- (2) The committee observed that some of the structures are shown in the water body coming within the purview of encroachment.

The District Magistrate, Shivpuri, Chief Executive Officer, Municipal Council, Shivpuri and State Pollution Control Board are directed to take necessary actions and to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the water body and encroachment if any found as pointed out by the members of the joint committee must be removed according to rules. Further Action Taken Report may be filed within three weeks.

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है एवं लेख है कि, शिवपुरी शहर के घरेलू दूषित जल को बिना उपचार के नालों के माध्यम से वर्तमान में माधव नेशनल पार्क, में स्थित सांख्य सागर झील में निस्सारित किया जा रहा है। पूर्व से निर्मित दूषित जल उपचार संयंत्र के माध्यम से घरेलू दूषित जल को उपचार कर उसका उपयोग बागवानी, सिंचाई व अन्य कार्यों में करना सुनिश्चित करने एवं किसी भी परिस्थिति में उक्त अनउपचारित दूषित जल-मल प्राकृतिक जल स्रोत (सांख्य सागर/चांदपाटा झील) में निस्सारित न हो पावे। पत्र की परिशिष्ट 05 है।

(7) यह है कि, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड शिवपुरी के पत्र क्रमांक 3629 परि/का.य./लो.स्वा.या.वि./ खण्ड शिवपुरी दिनांक 10.12.2024 की छायाप्रति परिशिष्ट 06 पर संलग्न है। जिससे स्पष्ट है नगरपालिका शिवपुरी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित नहीं है। वर्तमान में भी अनउपचारित दूषित जल माधव नेशनल पार्क, में स्थित सांख्य सागर झील में निस्सारित किया जा रहा है। इस संबंध में इस कार्यालय के प्रयोगशाला सहायक श्री के.बी.शर्मा, द्वारा दिनांक 17.12.2024 को नोटिस देकर विधिक जल नमूने एकत्रित किये गये। पंचनामा तैयार किया गया है, जल नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 768 दिनांक 17.12.2024 उक्त सभी परिशिष्ट 07 पर संलग्न है। विश्लेषण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विश्लेषण परिणाम मानकों के अनुरूप नहीं है बी.ओ.डी 40.0 mg/litre. पाई गई है। जिससे स्पष्ट है कि नगरीय निकास का दूषित जल-मल चांदपाटा झील के पानी को दूषित कर रहा है।

दिनांक 19.12.2024 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरपालिका शिवपुरी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, शिवपुरी के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण का पंचनामा तैयार किया गया जो परिशिष्ट 08 पर संलग्न है। जिसके अनुसार शिवपुरी शहर का जल-मल बिना उपचार के सांख्य सागर झील में निस्सारित किया जा रहा है।

(8) यह है कि, पूर्व में मान. मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, शिवपुरी की न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया है, जिसका सी.एन.आर नं. MP33010038962024 है तथा प्रकरण का विवरण परिशिष्ट 09 पर संलग्न है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25 का लगातार उल्लंघन जारी है, जिसके लिये वर्तमान के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, श्री इशांक धाकड़ एवं श्री एल.पी.सिंह, कार्यपालन यंत्री, जिम्मेदार है। अतः उक्त दोनों अरोपियों को भी मूल परिवाद पत्र के साथ जोड़ने एवं अधिनियम की धारा 43,44 एवं 48 के अंतर्गत विधि के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही एवं सजा तथा अर्धदण्ड से दण्डित किये जाने की कृपा करें।

परिवादी अधिवक्ता

 परिवादी

कु. सलीनी स्नेहरिया, रसायनज्ञ,  
म.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड, विजयपुर,  
तहसील राघोगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

स्थान:- शिवपुरी

दिनांक:- 24/12/24

परिवादी साक्षियों की सूची:-

1. श्री के.बी.शर्मा, प्रयोगशाला सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर जिला-गुना (म.प्र.)
2. श्री डी.एस.यादव, रसायनज्ञ, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर जिला गुना (म.प्र.)
3. श्री भूपेन्द्र सिंह नरवरिया, सहायक यंत्री(कॉन्ट्रैक्टर), क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर जिला गुना (म.प्र.)
4. श्री डी.के.शर्मा, विश्लेषक कनिष्ठ वैज्ञानिक, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डी.डी नगर, ग्वालियर।

दस्तावेज सूची

क्र.	विवरण	परिशिष्ट	पेज क्रमांक
1	मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 164/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024	01	5-8
2	संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 27.08.2024 को की गई जांच का प्रतिवेदन	02	9-89
3	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड शिवपुरी का पत्र क्रमांक 2555 परि/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./ खण्ड शिवपुरी दिनांक 27.08.2024	03	90
4	मान.राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल का आदेश दिनांक 12.12.2024	04	91-92
5	क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर जिला गुना, का पत्र क्रमांक 1172 दिनांक 13.12.2024	05	93
6	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड शिवपुरी के पत्र क्रमांक 3629 परि/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./ खण्ड शिवपुरी दिनांक 10.12.2024	06	94
7	प्रयोगशाला सहायक श्री के.बी.शर्मा, द्वारा दिनांक 17.12.2024 नगरपालिका अधिकारी, को जल नमूने लेने के पूर्व दिया गया नोटिस व स्थल पंचनामा एवं जल नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 768 दिनांक 17.12.2024	07	95-97
8	स्थल पंचनामा दिनांक 19.12.2024	08	98
9	मान. मुख्य न्यायाधिक दण्डाधिकारी, शिवपुरी की न्यायालय में दायर प्रकरण का सी.एन.आर नं. MP33010038962024 तथा विवरण	09	99-101

स्थान:- शिवपुरी

दिनांक:- 24/12/24



परिचारी

शु. सलोनी खेमरिया, रसायनज्ञ,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर,  
उदरसोल राघीगड जिला गुना (म.प्र.)

Item No. 01

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
(Through Video Conferencing)

**Original Application No. 164/2024(CZ)**

Jagrat Agarwal & Ors.

Applicant(s)

Vs.

MoEF&CC & Ors.

Respondent(s)

**Date of Hearing: 24.07.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s): Mr. Abhay Jain, Adv.  
(with Ms. Rashika Narain, Adv.)

For Respondent(s): None

**ORDER**

1. Issue raised in this application is non-compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and discharge of untreated water into the water bodies/lake and throwing the municipal waste into the water bodies in violation of rules.
2. In 1918, the Maharaja of Gwalior constructed three dams across the Maniyar River, forming the "Three Lakes of Shivpuri" - Jadhav Sagar, Sakhya Sagar, and Madhav Lake. Sakhya Sagar Lake, recognized internationally as a Ramsar Site under the Convention on Wetlands, is situated on the outskirts of Shivpuri. Jadhav Sagar Lake, one of the district's oldest water bodies, is recognized as a wetland in accordance with the decision of the Hon'ble Supreme Court in *M. K. Balakrishnan v. Union of India* (2017) 7 SCC 805. This Lake, along with Sakhya Sagar, forms a wetland complex per Section 2(h) of the Wetland Conservation & Management Rules, 2017 (WLR 2017) and are protected by the same.

3. The overflow from Jadhav Sagar flows into Sakhya Sagar through a drain, contributing to the latter's significant biodiversity, which includes a variety of species including Marsh Crocodiles. Despite the ecological importance of these water bodies, and the mandate under Rule 4(2) of the WLR 2017 to restricting "any conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind" a recent tender worth ₹1.35 crore issued by the Nagar Palika for Jadhav Sagar Lake includes provisions for concretizing 500 meters of the surrounding nallahs. This construction threatens the hatching Mugger crocodile eggs and poses a severe risk to the region's biodiversity. Additionally, the water quality in Jadhav Sagar and Sakhya Sagar has been deteriorating due to unregulated human activities, municipal waste, and untreated sewage, violating the Solid Waste Management Rules, 2016. This has led to eutrophication and the proliferation of Water Hyacinth, severely impacting the ecosystem. The Madhya Pradesh Pollution Control Board issued a directive on March 15, 2023, to the Municipal Council of Shivpuri, the Mineral and Resource Department, Shivpuri, and the Forest Department, Shivpuri, outlining actions needed to mitigate ecological degradation in the green zone surrounding Sakhya Sagar and Jadhav Sagar Lakes. However, no corrective measures have been implemented to date.
4. The National Green Tribunal, Central Zone at Bhopal, in the matter of *Abhay Jain v. Collector, District Shivpuri and Ors.*, [O.A. No. 143/2015 (CZ)] took cognizance of the issue of the water bodies in the district of Shivpuri being used as dumping sites for solid waste as well as untreated sewage. This Tribunal passed the following directions in its order dated 29.03.2016:

*"As regards the issue of dumping of municipal solid waste is concerned it has been submitted that in the city of Shivpuri the local body has already started the work of door*

*to door collection of MSW and would ensure that no MSW is allowed to be dumped either by private individual or by employees and agents of the municipal body in any of the water bodies or this purpose, we would direct that the municipal body would take preventive and penal action against any person found responsible for dumping any MSW into the water bodies including imposition of fine upto Rs. 5,000/- and directing the person responsible to remove the same.*

*We further reiterate that the municipal body shall be responsible for ensuring that no further encroachment by way of any construction is allowed to take place in the area of the water bodies and channels leading from the catchment area also remain free from any such encroachment. If any encroachment is found a survey shall be undertaken and the persons responsible be asked to remove the same within the reasonable period and municipal authority shall carry out a drive for removal of such encroachments.\**

5. It is further submitted that, municipal board has failed to take necessary steps for the cleaning of the lake and the removal of the debris and the solid waste and discharging the untreated water into the water bodies in violation of Section 11, 12, 15 and 16 of the Solid Waste Management Rules, 2016.
6. A substantial issue of environment has been raised.
7. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
8. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

9. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- i. One representative from the Member Secretary, Wetland Authority, Environment, Planning and Coordination Organization.
- ii. One representative from the District Magistrate, Shivpuri.
- iii. One representative from the M.P. State Pollution Control Board.

10. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The committee is also directed to suggest the measures which are required to be taken for retracable of the grievances and improvement of the water body. In accordance with the Wetland (Conservation and Management Rules) 2017. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

11. Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the Committee and respondent(s).

12. The report in the matter be filed by the Committee through email at [ng\(czbbho-mp@gov.in\)](mailto:ng(czbbho-mp@gov.in)) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **24<sup>th</sup> October, 2024.**

**Sheo Kumar Singh, JM**

24<sup>th</sup> July, 2024  
O.A No. 164/2024(CZ)  
PN

**Dr. Afroz Ahmad, EM**

# JOINT COMMITTEE INSPECTION REPORT

In The Matter of

**Original Application No. 164/2024(CZ)**

Jagrat Agarwal & Ors. Applicant (s)

Vs.

MoEF&CC & Ors. Respondent (s)

**In Compliance of Order dated 24/07/2024**



**Date of Inspection:- 27 Aug, 2024**

**Location: Jadhav Sagar, Sakhya Sagar & Madhav Sagar Lake**

**Distt- Shivpuri (MP)**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**

**Original Application No. 164/2024(CZ)**

**Jagrat Agarwal & Ors.**

**Applicant(s)**

**Vs.**

**MoEF&CC & Ors.**

**Respondent(s)**

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page No.</b>
1.	Joint Inspection Report	-	1-4
2.	Copy of nomination letter of all Committee Members for Joint Inspection	01	5-8
3.	Letter of Regional Officer Guna to Dir. Madhav National Park, CMO, Tehsildar, Executive Engineer PHE & Shri Jagrat Agarwal, Shivpuri to present for spot inspection.	02	9-10
4.	Copy of attendance sheet of joint committee for inspection dated 27/08/2024	03	11
5.	Google map showing Nallah Stream.	04	12
6.	Copy of Court case file under section 24 of water (Prevention & control of pollution) Act 1974 against the local body.	05	13-20
7.	Copy of comparative statement of water Quality of last 02 years (Jadhav Sagar, Sakhya Sagar & Madhav Sagar )	06	21-23
8.	Photographs during visit of committee on date 27/08/2024	07	24-25
9.	Photographs of mission Jalganga Mission during cleaning drive	08	26
10.	Copy of letter from PHED Shivpuri	09	27
11.	Panchnama and Letter by Deputy Director, Madhav NationalPark.	10	28-78
12.	Copy of Letter by Nagar Palika Shivpuri regarding boulder pitching on embankment of Jadhav Sagar, Shivpuri.	11	79

## **INTRODUCTION:-**

Issue raised in this application is non-compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and discharge of untreated water into the water bodies/lake and throwing the municipal waste into the water bodies in violation of rules.

In 1918, the Maharaja of Gwalior constructed three dams across the Maniyar River, forming the “Three Lakes of Shivpuri” - Jadhav Sagar, Sakhya Sagar, and Madhav Sagar Lake. SakhyaSagar Lake, recognized internationally as a Ramsar Site under the Convention on Wetlands, is situated on the outskirts of Shivpuri. Jadhav Sagar Lake, one of the district’s oldest water bodies, is recognized as a wetland in accordance with the decision of the Hon’ble Supreme Court in M. K. Balakrishnan v. Union of India (2017) 7 SCC 805. This Lake, along with Sakhya Sagar, forms a wetland complex per Section 2 (h) of the Wetland Conservation & Management Rules, 2017 (WLR 2017) and are protected by the same.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee constituted: -

- i. One representative from the Member Secretary, Wetland Authority, Environment, Planning and Coordination Organization.*
- ii. One representative from the District Magistrate, Shivpuri.*
- iii. One representative from the M.P. State Pollution Control Board.*

The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The committee is also directed to suggest the measures which are required to be taken for retraceable of the grievances and improvement of the water body. In accordance with the Wetland (Conservation and Management) Rules 2017. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

In-Compliance to Hon’ble NGT (CZ) order Dated 24/07/2024 officers are nominated for inspection are as under: -

- i. Shri Brijendra Yadav Deputy Collector (Representative of the District Collector), District Shivpuri. (M.P.)*
- ii. Dr. Manoj Vishwakarma, Assistant scientific officer (Representative of the Wetland Authority, EPCO) Bhopal (M.P.)*
- iii. Shri D.V.S. Jatav, Regional officer, MPPCB, Guna, (Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board) Guna, (M.P.)*

**Copy of official order related to nomination for joint inspection attached as Annexure -01.**

The complainant Shri Jagrat Agarwal, CMO, Tehsildar, & Executive Engineer PHE, Shivpuri was also requested to be present with the joint committee. Adv. Shri Abhay Jain representative of complainer, ACF, Madhav National Park, Nagar Palika Shivpuri, PHE department & Mining department was also present with the joint committee for inspection. The letter was written to the applicant attached as **Annexure-02.**

The joint inspection was conducted by the joint committee on dated 27/08/2024.

Attendance sheet of officers of joint committee attached as **Annexure-03.**

**THE OBSERVATION OF THE COMMITTEE ALONG WITH THE COMMENTS ON THE POINT WISE ISSUE RAISED IN THE CASE:-**


S.No.	Brief of complaint	Fact's & Observations
1.	The water quality in Jadhav Sagar and Sakhya Sagar has been deteriorating due to unregulated human activities, municipal waste, and untreated sewage.	<p>The Jadhav Sagar Lake is situated in downstream of town Shivpuri &amp; whole catchment of town cover the residential, commercial &amp; other settlement. The local body has prepared the plan for laying the sewer line to tap the sewage to prevent from mixing in the natural stream/ Sakhya Sagar Lake.</p> <p>The STP is already being constructed however sewer line &amp; house hold connection is yet to be completed. After completion of the project the mixing of sewage in Sakhya Sagar through natural stream/ nallah Google map is enclosed showing Sakhya Sagar, Jadhav Sagar &amp; nallah as <b><u>Annexure-04.</u></b></p> <p>The committee visited the sites &amp; observed that untreated waste water is not confluence into Jadhav Sagar but found discharging into Sakhya Sagar through adrain by passing Jadhav Sagar. The MPPCB has filed the prosecution under section 24, 25&amp;26 of water (Prevention &amp; control of pollution) Act 1974 against the local body. Copy of court case is enclosed as <b><u>Annexure-05.</u></b></p> <p>The MPPCB regularly monitor the water Quality of Jadhav Sagar, Sakhya Sagar &amp; Madhav Sagar. A comparative statement of water Quality of last 02 years</p>

		enclosed for perusal. <b><u>Annexure-06.</u></b>
2.	<p>Municipal Council has failed totake necessary steps for the cleaning of the lake and the removal of the debris and the solid waste and discharging the untreated water into the water bodies. This has led to eutrophication and the proliferation of Water Hyacinth, severely impacting the ecosystem.</p>	<p>The committee found that no solid waste is being dumped into Jadhav Sagar Lake &amp; other water body. Municipal solid waste is collected door to door &amp; dumping into Barodi dumping site. Cleaning of water body done by Municipal Council Shivpuri. There is no dumped debris &amp; solid waste into the water body found during joint committee visit. Photographs taken during visit of committee enclosed as <b><u>Annexure-07.</u></b></p> <p>Conservation of Jadhav Sagar Lake &amp; prevention of mixing of sewage a separate nallah/ drain has been made. The municipality has also taken up cleaning drives Jalganga Mission from time to time. Photographs of Jalganga mission taken during cleaning drive is enclosed as<b><u>Annexure-08.</u></b></p> <p>PHED has submitted the letter for diversion of sewage through and does not enter untreated sewage in water bodies of Shivpuri enclosed as <b><u>Annexure-09.</u></b></p>
3.	<p>Regarding encroachment of the water bodies andchannels leading from the catchment area. Ecological degradation in the green zonesurrounding Sakhya Sagar and Jadhav Sagar Lakes.</p> <p>Any conversion of Jadhav sagar non-wetland uses including encroachment of any kind.</p>	<p>The committee visited the area &amp; discussed with occupier of the lake under the forest dept. As per the information provided by forest Department no encroachment has been done within Eco-sensitive zone from the boundary of the Madhav National Park (MNP).</p> <p>The committee observed that the some of the Structure like temples, hutments etc. were observed. The applicant stated that these are the encroachment, However the officers of forest &amp; district administration inform that there is no encroachment on the forest Land. The Committee again discuss the terms of reference as per Hon’ble NGT direction were in the issue related Wetland &amp; forest are to be address.</p> <p>Copy of Panchnama and Letter by Deputy Director</p>

		<p>Madhav National Park Forest Department, Shivpuri enclosed as <b><u>Annexure-10.</u></b></p> <p>Information provided by the Nagar Palika Shivpuri regarding boulder pitching on embankment of Jadhav Sagar is under progress. A letter along with tender document received from Nagar Palika Shivpuri is enclosed as <b><u>Annexure-11.</u></b></p>
--	--	---

**RECOMMENDATION:-**

1. The District Administration shall ensure strict compliance of section 4 of the Wetland Rules 2017 and to ensure that there will not to be any encroachment on wetland.
2. Signage and caution boards should be installed by the occupiers of the water bodies at suitable place.
3. For protection of the water bodies fencing shall be done occupiers of the water bodies.
4. Removal of weeds in scientific manner in Jadhav Sagar, Sakhya Sagar & Madhav Sagar Lake.
5. The weed trapped at automatic gates of the dam causing accumulation of the weeds therefore it is recommended to replace the automatic gates with suitable structure.
6. Multilayer screen should be installed to trap the waste coming through Jadhav Sagar.
7. Bioremediation and restoration of lake bed to improve the water carrying and holding capacity of lakes.
8. State Wetland Authority may be consulted for seeking any guidance to ensure compliance of Wetlands Rules 2017.
9. Preventive measures should be taken by PHED Shivpuri and Nagar Palika, Shivpuri to ensure compliance of the standard of CPCB/PCB regarding sewage quality.



(Dr. Manoj Vishwakarma)  
Assistant Scientific Officer,  
Bhopal (M.P.)



(Brijendra Yadav)  
Deputy Collector,  
Shivpuri. (M.P.)



(D.V.S. Jatav)  
Regional Officer,  
MPPCB, Guna, (M.P.)



म. प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण  
(पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन)  
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,  
भोपाल - 462016  
Website- www.swa.mp.gov.in  
फोन : (0755) 2466859  
पत्र क्र. 4484 / MPSWA/2024  
दिनांक : 7/8/24

Annexure 01

:: कार्यालय आदेश ::

मान. एनजीटी, प्रकरण क्र. 164/2024 (श्री जाधव अग्रवाल विरुद्ध MoEECC व अन्य) शिवपुरी के तालाबों से सम्बंधित है जो दिनांक 24-07-2024 को पंजीकृत हुआ है। प्रकरण में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, एको को प्रतिवादी बनाया गया है तथा प्रकरण की आगामी तिथि दिनांक 24-10-2024 निर्धारित की गयी है।

मान. एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, एको की ओर से विधिक संबंधी कार्य हेतु सुश्री पारुल भदौरिया को अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता परामर्श शुल्क शासन के नियमानुसार कुल राशि रु 25000/- देय होगी। प्रथम किश्त 50% न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने पर एवं शेष 50% राशि न्यायालय में अंतिम निर्णय पर देय होगी।

मान. एनजीटी, प्रकरण आदेश दिनांक 24-07-2024 में तीन सदस्यों की एक संयुक्त समिति में राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, एको की ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु डॉ. मनोज विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (9826848144) को प्रवर्ती एवं सदस्य नियुक्त किया जाता।

(कार्यपालन संचालक, एको एवं सदस्य सचिव, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन)

  
(मनोहर पाटिल)

प्रशासनिक अधिकारी, एको

पृ. क्र. / MPSWA/ 2024 दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, कार्यपालन संचालक, एको एवं सदस्य सचिव, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रवर्ती अधिकारी, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, एको भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गुना को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सुश्री पारुल भदौरिया, अधिवक्ता, चैम्बर न. 609, UCI अधिवक्ता चैम्बर, अरेरा हिल्स भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. लेखाधिकारी, एको को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. डॉ. मनोज विश्वकर्मा, सहा. वैज्ञानिक अधि., राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, भोपाल को मा. NGT के निर्देशानुसार म. प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, गुना एवं कलेक्टर, जिला शिवपुरी के नामांकित सदस्यों से समन्वय कर स्थल भ्रमण आधारित संयुक्त प्रतिवेदन की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रशासनिक अधिकारी, एको

# कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक/डूडा/2024/690

शिवपुरी दिनांक 27/08/2024

// आदेश //

-00-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के प्रकरण क्रमांक-164/2024 (जाग्रत अग्रवाल विरुद्ध पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन व अन्य) में दिनांक 24.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त गठित कमेटी को 06 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयनी आदेश क्रमांक/डूडा/2024/666 शिवपुरी दिनांक 13.08.2024 द्वारा संयुक्त गठित कमेटी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, शिवपुरी के प्रतिनिधि के रूप में श्री जे.पी. गुप्ता डिप्टी कलेक्टर कलेक्ट्रेट शिवपुरी को नामांकित किया गया था।

उक्त आदेश में संशोधन करते हुए श्री विजेन्द्र यादव डिप्टी कलेक्टर शिवपुरी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। श्री यादव माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



(उमेश चन्द्र कौरव)

डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
जिला-शिवपुरी  
शिवपुरी दिनांक 27/08/2024

पृ.क्रमांक/डूडा/2024/690

प्रतिलिपि:-

1. डायरेक्टर, पर्यावरण (विधि/तकनीकी) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री - - - - - कलेक्टर कलेक्ट्रेट शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री जे.पी. गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला गुना की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
जिला-शिवपुरी



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016



कमांक 2457 /विधि/NGT(CZ)/प्रतिबो/24  
प्रति

भोपाल, दिनांक 30 JUL 2024

- 1 कलेक्टर,  
कलेक्टर कार्यालय  
शिवपुरी ।
- 2 सदस्य सचिव,  
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, (एफको)  
स्टेट चेटलैंड अथॉरिटी, ई-5 अरेरा कॉलोनी,  
भोपाल (म.प्र.) ।

विषय :- माननीय एनजीटी, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण कमांक 164/2024 (जागत अण्डवाल विरुद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) में दिनांक 24.07.2024 को पारित आदेश अनुपालन बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एनजीटी, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 164/2024 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 का कृपया अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

Issue raised in this application is non-compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and discharge of untreated water into the water bodies/lake and throwing the municipal waste into the water bodies in violation of rules.

In 1918, the Maharaja of Gwalior constructed three dams across the Maniyar River, forming the "Three Lakes of Shivpuri" - Jadhav Sagar, Sakhya Sagar, and Madhav Lake. Sakhya Sagar Lake, recognized internationally as a Ramsar Site under the Convention on Wetlands, is situated on the outskirts of Shivpuri. Jadhav Sagar Lake, one of the district's oldest water bodies, is recognized as a wetland in accordance with the decision of the Hon'ble Supreme Court in M. K. Balakrishnan v. Union of India (2017) 7 SCC 805. This Lake, along with Sakhya Sagar, forms a wetland complex per Section 2(h) of the Wetland Conservation & Management Rules, 2017 (WLR 2017) and are protected by the same.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- i. One representative from the Member Secretary, Wetland Authority, Environment, Planning and Coordination Organization
- ii. One representative from the District Magistrate, Shivpuri.

The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The committee is also directed to suggest the measures which are required to be taken for retraceable of the grievances and improvement of the water body. In accordance with the Wetland (Conservation and Management Rules) 2017. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

The report in the matter be filed by the Committee through email at [ngtcrbbho-mp@gov.in](mailto:ngtcrbbho-mp@gov.in) preferably in.

माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशानुसार 6 सप्ताह में संयुक्त गठित कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश है। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 24.07.2024 को नियत है ।




**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,गोपाल-462016**



Fax No : +91-785-2465742 E-mail : cpcb@rediffmail.com

अतः समिति हेतु आपके कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का अनुरोध है ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, गुना को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिनका मोबाईल नम्बर 9827332693 है।

संलग्न :-एनजीटी आदेश।

  
( ए.ओ.शर्मा )  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

- ✓ क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना की ओर आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा नामित अधिकारी से समन्वय कर निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट रिटेनर अधिवक्ता के माध्यम से माननीय एनजीटी को उपलब्ध करावे।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प, विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112  
ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com  
दूरभाष नं. -07544-274098



Annexure 02

क्रमांक 644

/ क्षे.कार्या/ म.प्र.प्र.नि.बो/ 2024

गुना, दिनांक 12/08/2024

प्रति,

संशोधित पत्र

1. डॉ. मनोज विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,  
म.प्र.राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, पर्यावरण परिसर, ई- 5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)
2. श्री युनिस मोहम्मद कुरेशी, संयुक्त कलेक्टर,  
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला- दण्डाधिकारी, शिवपुरी (म.प्र.)
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, शिवपुरी (म.प्र.)
4. तहसीलदार, कार्यालय तहसीलदार, शिवपुरी (म.प्र.)
5. कार्यापालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी विभाग, शिवपुरी (म.प्र.)
6. संचालक, माधव नेशनल पार्क, शिवपुरी (म.प्र.)
7. श्री जागृत अग्रवाल, शिकायतकर्ता, पटेल पार्क के सामने, पटेल नगर टी.व्ही.टावर रोड़, शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक OA164/24 में पारित आदेश दिनांक 24/07/2024 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- म.प्र.राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का पत्र क्र. 4558 दिनांक 12/08/2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के सम्बंध में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक OA164/24 में दिनांक 13/08/2024 को जांच नियत थी। म.प्र.राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का पत्र क्र. 4558 दिनांक 12/08/2024 के अनुरोध को मान्य करते हुये जांच तिथी में संशोधन उपरांत आगामी दिनांक 27/08/2024 को जांच की जाना नियत की जाती है।

अतः संबंधितों से अनुरोध है कि दिनांक 27/08/2024 को प्रातः 11 बजे माधव नेशनल पार्क, सेलिंग क्लब में उपस्थित होने का अनुरोध है। जांच हेतु जांच दल इसी स्थान से प्रस्थान करेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

विजयपुर-गुना

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला- दण्डाधिकारी, शिवपुरी (म.प्र.)।



म. प्र. राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण  
(पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन)  
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,  
भोपाल - 462016  
Website- www.swa.mp.gov.in  
फोन : (0755) 2488859  
पत्र क्र. 4558 / MPSWA/2024  
दिनांक : 12-08-2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मैल कैंप, विजयपुर, जिला गुना (म. प्र.)

विषय - मान. NGT (CZB), भोपाल प्रकरण क्र. 164/2024 में पारित आदेश 24-07-2024 के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ - आपका पत्र क्र. 634/क्षे. कार्या./म.प्र.प्र.नि.बो./2024 दिनांक 09/08/2024।

कृपया उपरोक्त पत्र व सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मान. NGT (CZB) प्रकरण क्र. 164/2024 शिवपुरी के तालाबों से सम्बन्धित है जिसमें 3 सदस्यों की समिति गठित है। उक्त समिति को 6 सप्ताह में स्थल निरीक्षण उपरांत action taken report प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। उक्त प्रकरण की आगामी सुनवाई की तिथि 25-10-2024 है। आपके पत्र द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 13-08-2024 को प्रस्तावित की गयी है।

मान. मंत्री जी पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन की अध्यक्षता में राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण की बैठक 13-08-2024 को आयोजित है जिसमें अधोहस्ताक्षर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण हेतु स्थल निरीक्षण की अगली तिथि दिनांक 27-28 अगस्त 2024 को प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

(कार्यपालन संचालक, महोदय द्वारा अनुमोदित)

(लोकेंद्र ठक्कर)

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एफको एवं  
प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण

पृ. क्र. 4559 / 2024 दिनांक 12-08-2024-

1. कलेक्टर, जिला शिवपुरी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अरेरा कॉलोनी भोपाल को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एफको एवं  
प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
**Original Application No. 164/2024(CZ)**

Jagrat Agarwal &amp; Ors.











Applicant(s)

Vs.

MoEF&amp;CC &amp; Ors.

Respondent(s)

## (Attendance Sheet)


Sr. No.	Name & Designation	Office Address with E-mail & Mobile No.	Signature
1.	DR. MANOJ YISHWAKARMA ASO, MPSWA	E-5, Arava Colony, Bhopal 9826848144	
2.	BIJENDRA YADAV DEPUTY COLL.	bbyadav927@gmail.com 9074747485	
3.	D. V. S. Jataw Regional officer	M.P. Pollution Control Board, Vijaypur - Guna	
<b><u>Other Member/ officer Present During joint inspection</u></b>			
4.	Anil Sorei Asst. Director M.N.P.	Khinnai Naha MNP Campu fdmnp.gvp@mp.gov.in 9424734806	 27/08/24
5.	Sachin Chauhan A.E. Nagar Palika Shekha	Nagar Palika office cmoshakha@mp.gov.in	 27/08/24
6.	Jagrat Agrawal Shipuri M.P. India (Inflator)	13, Patel Nagar, In front of T.V. tower Road, Shipuri	 27/08/24
7.	Abhey Jain	Pili Kothi, Kamlaganj, Shipuri - 473551	 27/08/24
8.	Brandavan Yadav	R.O. South	 27/08/24
10.	R. K. RAHOURA	PHR Seewar pousud -Subin-Shipuri	 27/08/24
11	श्री २ शिवाजी	श्री २ श्री २ 3757083054	 27/08/24

# SHIVPURI



## 4.1 DEVELOPMENT PLAN 2035

### Proposed Landuse

Annexure 04



Legend		EXISTING PROPOSED		
<b>RESIDENTIAL</b>			आवासीय	
GENERAL RESIDENTIAL			सामान्य आवासीय	R1
MIXED LANDUSE			मिश्रित उपयोग	R2
<b>COMMERCIAL</b>			वाणिज्यिक	
GENERAL			सामान्य	C1
MANDI			मण्डी	C6
<b>INDUSTRIAL</b>			औद्योगिक	
GENERAL INDUSTRIES			सामान्य उद्योग	I2
<b>RECREATIONAL</b>			आमोद प्रमोद	
PARK			उद्यान	G1
AFFORESTATION			वृक्षारोपण	G2
STADIUM			स्टेडियम	G6
<b>PUBLIC &amp; SEMIPUBLIC</b>			सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	
PUBLIC INSTITUTIONS AND ADMINISTRATIVE AREA/ EDUCATION AND RESEARCH/ HEALTH/SOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONAL ACTIVITIES			सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां	P
<b>SPECIAL PURPOSE</b>			विशेष प्रयोजन	
RESERVED FOREST			आरक्षित वन	SP9
<b>TRANSPORTATION</b>			परिवहन	
BUS STAND			बस स्थानक	T1
ROADS			मार्ग	T3
RAILWAY STATION			रेल्वे स्टेशन	T4
RAILWAY LINE			रेल्वे लाईन	T5
TRANSPORT NAGAR			यातायात नगर	T7
AIRPORT			हवाई अड्डा	T8
BRIDGE			पुल	
PARKING			वाहन विराम स्थल	
<b>PUBLIC UTILITIES &amp; FACILITIES</b>			सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं	
WATER TREATMENT PLANT			जल शोधन संयंत्र	PUF1
ELECTRIC SUB STATION			विद्युत उपकेन्द्र	PUF3
CREMATORIUM/ GRAVE YARD			श्मशान / कब्रिस्तान	PUF10
<b>WATERBODIES</b>			जलाशय	
LAKES/PONDS/ RESERVOIRS			झील / तालाब / जलाशय	W2
NALA/ CANAL			नाला / नहर	W3
<b>AGRICULTURE</b>			कृषि भूमि	A1
<b>BOUNDARIES</b>			सीमाएं	
PLANNING AREA			निवेश क्षेत्र	
VILLAGE			ग्राम	
MUNICIPAL			नगर पालिका	



Landuse & Urban Survey Division  
Remote Sensing Application Centre, MPCST, Bhopal

Source: WV II Satellite 2016 Data & Archieve Master Plan

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

द्वारा-श्री सलोनी खेमरिया पुत्री श्री वृजकिशोर खेमरिया,  
उम-27 वर्ष, रसायनज्ञ, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
क्षेत्रीय कार्यालय, टैकर पार्किंग एरिया, विजयपुर,  
जिला गुना (म.प्र.)

- 24

परिवादी

बनाम

- (1) नगर पालिका परिषद, शिवपुरी, तहसील व  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
- (2) श्री केशव सगर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर  
पालिका परिषद, शिवपुरी (म.प्र.) (22.12.2022 से  
वर्तमान)
- (3) श्री शैलेश अवस्थी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 05.08.2021 से 16.12.2022 तक)
- (4) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 01.09.2020 से  
04.08.2021 तक)
- (5) श्री के.के. पटेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 23.09.2019 से 31.08.2020 तक)
- (6) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 29.07.2019 से  
20.09.2019 तक)
- (7) श्री के.के. पटेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 10.03.2019 से 27.07.2019 तक)
- (8) श्री सी.पी. राय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 16.08.2018 से 08.03.2019 तक)
- (9) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 16.11.2017 से  
01.12.2017 तक)
- (10) श्री रणवीर कुमार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 27.01.2016 से 08.05.2018 तक)

.....अभियुक्तगण

परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 25, 44, 45ए  
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974

माननीय महोदय,

परिवादी की ओर से सादर परिवाद निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- (1) यह है कि, परिवादी बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। जिसका मुख्यालय भोपाल होकर क्षेत्रीय कार्यालय टैकर पार्किंग एरिया, गेल कॉम्प्लेक्स, विजयपुर, जिला गुना में स्थित है। जिसका कार्यक्षेत्र जिला गुना, शिवपुरी एवं अशोकनगर हैं।



- (2) यह है कि, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 49 के अंतर्गत माननीय न्यायालय को सदर परिवाद श्रवण करने का अधिकार होने से परिवाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
- (3) यह है कि, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 50 के अनुसार परिवादी बोर्ड में कार्यरत सभी सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। अतः इन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखे जाने का अनुरोध है।
- (4) यह है कि, डायरेक्टर पर्यावरण (तकनीकी), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना को पत्र क्र. 684 दिनांक 12.02.2024 द्वारा नगर पालिका शिवपुरी के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देश किया गया है। जानकारी परिशिष्ट 01 पर संलग्न है।
- (5) यह है कि, क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना द्वारा नगर पालिका शिवपुरी के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही हेतु पत्र क्र. 343 दिनांक 29.05.2024 द्वारा अधिकृत किया गया है। पत्र परिशिष्ट 02 पर संलग्न है।
- (6) यह है कि, परिवादी बोर्ड की ओर से रसायनज्ञ को सदर परिवाद हस्ताक्षर करने एवं संचालन करने के अधिकार प्राप्त हैं। मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित भाग 3 (1) भोपाल दिनांक 11.09.2018 की छायाप्रति परिशिष्ट 03 पर संलग्न है।
- (7) यह है कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सेन्ट्रल बैंच) भोपाल के प्र.क्र. Miscellaneous Application No. 1066/2016 IN Original Application No. 143/2015 (CZ) Abhay Jain Applicant(s) Versus The Collector, Shivpuri Respondent(s) Date of hearing: 19.07.2021 को निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है :-

- (i) The State Authorities and District Collector concerned is directed to follow the guidelines issued in the above applications and ensure that no untreated sewage water is to be discharged into the water bodies. The area of the water bodies must be surveyed, identified, demarcated and protected. Any encroachments found in the water bodies must be removed according to law. It shall be the responsibility of the District Authorities to protect the water bodies to save the next generation and to provide the water for drinking purposes for future generation.
- (ii) The Collector/District Magistrate is directed to ensure that there should be no encroachment of the lake/pond area and in case any encroachment is found, immediate necessary action should be taken to remove the encroachments.
- (iii) Nagar Nigam and Madhya Pradesh Pollution Control Board with District Administration are directed to ensure that no sewage or untreated water is discharged into the lake and in case it is found, necessary legal action in addition to recovery of environmental compensation be initiated and recovered.
- (iv) The Collector/District Magistrate is directed that the exercise of survey, identification of pond area, demarcation and protection must be completed within three months. After identification and demarcation, if it is found that there are encroachments on the water body, removal of encroachments must be ensured and executed within a period of three months from the date of uploading of order.
- (v) Natural water coming towards the lake should not be disturbed or blocked by artificial means. The exercise as directed above must be completed within three months.

The Miscellaneous Application No. 1066/2016 in Original Application No. 143/2015 (CZ) is disposed of accordingly. उक्त आदेश के छायाप्रति परिशिष्ट 04 पर संलग्न है। आदेश का पालन होना प्रतिक्षारत है।

- (8) यह है कि, नगर पालिका परिषद, शिवपुरी की यह जिम्मेदारी है कि नगर से उत्पन्न होने वाले जल-मल को मानको तक उपचार कर उसका सिंचाई, वृक्षारोपण, वागवानी, सड़क की धुलाई आदि कार्यों में पुनर्उपयोग किया जाये। बिना उपचार के घरेलू जल-मल प्राकृतिक जल स्रोत में जाकर उसे दूषित न करें। मानको की छायाप्रति परिशिष्ट- 05 पर संलग्न है।
- (9) यह है कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अनेक प्रावधानों का उल्लंघन कर निकाय द्वारा बिना उपचार के घरेलू जल-मल को नालों के माध्यम से चांदपाठा झील में जाकर मिलता है जिससे झील का पानी दूषित होता है। जो जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 का उल्लंघन होकर धारा 43 के तहत दण्डनीय अपराध है।
- (10) यह है कि, आरोपियों द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत परिवादी बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना ही जल मल का अवैधानिक रूप से सरिता एवं भूमि पर निपटान किया जा रहा है। जो कि अधिनियम की धारा 25/26 का उल्लंघन है।
- (11) यह है कि, दिनांक 06.06.2024 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सूचना पत्र देकर निम्न विवरण अनुसार घरेलू जल-मल के नमूने विश्लेषण हेतु एकत्रित किये गये है विवरण निम्नानुसार है :-
- Municipal Domestic waste water of Rampur Nallah before mixing into sankhya sagar (Near Karwalla), Shivpuri
  - Water sample of Sankhya Sagar Near Bhadiya kund after confluence of rampur Nallah, Shivpuri

तथा निरीक्षण कार्य किया गया था। नगर पालिका परिषद को दिया गया सूचना पत्र, निरीक्षण प्रतिवेदन, पंचनामा, नगर पालिका परिषद द्वारा एसटीपी के संचालन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, शिवपुरी एवं बरिष्ठ अधिकारियों से किये गये पत्राचार की छायाप्रतियाँ तथा जल नमूनों के विश्लेषण परिशिष्ट 06 एवं 07 पर संलग्न है।

- (12) यह है कि, दिनांक 06.06.2024 को एकत्रित किये गये विधिक जल नमूनों का विश्लेषण कार्य क्षेत्रीय प्रयोगशाला, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर में कराया गया है। विश्लेषण परिणाम मानको के अनुरूप नहीं है, बी.ओ.डी. 40.0 mg/litre पाई गई है। जिससे स्पष्ट है कि नगरीय निकाय का दूषित जल-मल चांदपाठा झील के पानी को दूषित कर रहा है। जिससे जल में रहने वाले जलीय जीवों का जीवन खतरे में है। जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर धारा 43 के तहत दण्डनीय अपराध है।
- (13) यह है कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत (1) राज्य बोर्ड की पूर्व सम्मति के बिना कोई भी व्यक्ति मल या बहिःस्राव के किसी सरिया या कुएँ या मल नल में या भूमि पर निस्सरण के लिए कोई उद्योग, संक्रिया अथवा प्रक्रिया अथवा निरूपण और निपटान प्रणाली न तो स्थापित करेगा, न स्थापित करने की दिशा में कदम उठायेगा न विस्तार करेगा और उसमें अभिवृद्धि करेगा। लेकिन नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा उक्त उल्लेखित प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। (2) अधिनियम की धारा 25 (1) के अधीन राज्य बोर्ड की सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य था। लेकिन नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा बोर्ड से सम्मति प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। और न ही सम्मति प्राप्त की गई। न ही सम्मति प्राप्त करने हेतु कोई भी वैधानिक प्रयास नहीं किया गया। जिसके लिए नगर पालिका परिषद शिवपुरी में पदस्थ अधिकारीगण जबाबदार है एवं उनके द्वारा अपराधिक कृत्य किया गया एवं परिवाद पत्र में उल्लेखित अधिकारीगण को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर सूचना पत्र जारी किये गये थे।

- (14) यह है कि, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निम्न पत्रों के माध्यम से स्वीकार किया गया है कि नगरीय निकाय के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू जल-मल के उपचार एवं डिस्पोजल की व्यवस्था संचालित नहीं है तथा अनुपचारित घरेलू दूषित जल-मल सांख्य सागर झील में जाता है। नगर पालिका शिवपुरी द्वारा निरीक्षण दौरान उपलब्ध कराये गये पत्र निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। पत्रों का विवरण निरीक्षण प्रतिवेदन के निम्नानुसार है :-
- (15) यह है कि, आरोपीगण नगर पालिका परिषद शिवपुरी के संचालन के लिये, भारसाधक एवं उसके प्रति उत्तरदायी है। तथा निकाय के इस अपराध के लिये दोषी है बिना आरोपी की जानकारी के उक्त अपराध कारित नहीं हो सकता है, तथा उनके द्वारा अपराध के निवारण के लिये सम्यक तत्परता नहीं बरती गई है। आरोपीगण द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की 25/26 के अंतर्गत परिवादी बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना नगरीय घरेलू दूषित जल का निस्सारण सांख्य सागर (घांदपाठा झील) में किया जा रहा है अतः आरोपी जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं 48 के अंतर्गत दण्ड के भागी है।
- (16) यह है कि परिवादी परिवाद के समर्थन में संलग्न सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है।

### प्रार्थना

अतएव परिवादी बोर्ड द्वारा माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि, न्यायहित में आरोपियों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 25/26 का उल्लंघन करने के कारण अधिनियम की धारा 43, 44 एवं 48 के अंतर्गत विधि के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही किये जावे एवं विधि अनुसार जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम की धारा में सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने की कृपा करें।

परिवादी अधिवक्ता

  
परिवादी  
सलोनी खेमरिया

रसायनज्ञ

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
विजयपुर, तहसील राधौगढ़  
जिला गुना (म.प्र.)

गुना

दिनांक :- 8/7/24

परिवादी साक्षियों की सूची :-

श्री डी.एस. यादव, रसायनज्ञ,

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
द्वारा-सुश्री सलोनी खेमरिया पुत्री श्री बृजकिशोर खेमरिया,  
उम्र-27 वर्ष, रसायनज्ञ, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
क्षेत्रीय कार्यालय, टैंकर पार्किंग एरिया, विजयपुर,  
जिला गुना (म.प्र.)

.....परिवादी

## बनाम

- (1) नगर पालिका परिषद, शिवपुरी, तहसील व  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
- (2) श्री केशव सगर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर  
पालिका परिषद, शिवपुरी (म.प्र.) (22.12.2022 से  
वर्तमान)
- (3) श्री शैलेश अवस्थी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 05.08.2021 से 16.12.2022 तक)
- (4) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 01.09.2020 से 04.08.  
2021 तक)
- (5) श्री के.के. पटेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 23.09.2019 से 31.08.2020 तक)
- (6) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 29.07.2019 से 20.09.  
2019 तक)
- (7) श्री के.के. पटेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 10.03.2019 से 27.07.2019 तक)
- (8) श्री सी.पी. राय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 16.08.2018 से 08.03.2019 तक)
- (9) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 16.11.2017 से 01.12.  
2017 तक)
- (10) श्री रणवीर कुमार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 27.01.2016 से 08.05.2018 तक)

.....अभियुक्तगण

## दस्तावेज सूची

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ट	पेज क्रमांक
01.	बोर्ड मुख्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण, भोपाल द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना को लिखा गया पत्र क्र. 684 दिनांक 12.02.2024	1	1
02.	क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना द्वारा नगर पालिका शिवपुरी को वैधानिक कार्यवाही हेतु लिखा गया पत्र क्र. 343 दिनांक 29.05.2024	2	2

03	मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित भाग 3 (1) भोपाल दिनांक 11.09.2018।	3	3-4
04	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सेन्ट्रल बेंच) भोपाल के प्र.क्र. O.A. Case No. 143/2015 (CZ) Date of hearing: 19.07.2021 को जारी आदेश	4	5-54
05	मानको की छायाप्रति	5	55-56
06	नगर पालिका परिषद को दिया गया सूचना पत्र, निरीक्षण प्रतिवेदन, पंचनामा, नगर पालिका परिषद द्वारा एसटीपी के संचालन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, शिवपुरी एवं वरिष्ठ अधिकारियों से किये गये पत्राचार की छायाप्रतियाँ	6	57-78
07	जल नमूनों के विश्लेषण	7	79-86

परिवादी अधिवक्ता  
सुनील कुमार जाटव

स्थान- शिवपुरी  
दिनांक- 8/7/24

  
संकु रंजना  
शभापुत्रा

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
द्वारा-सुश्री सलोनी खेमरिया पुत्री श्री बृजकिशोर खेमरिया,  
उम्र-27 वर्ष, रसायनज्ञ, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
क्षेत्रीय कार्यालय, टैंकर पार्किंग एरिया, विजयपुर,  
जिला गुना (म.प्र.)

.....परिवादी

**बनाम**

- (1) नगर पालिका परिषद, शिवपुरी, तहसील व  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
- (2) श्री केशव सगर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर  
पालिका परिषद, शिवपुरी (म.प्र.) (22.12.2022 से  
वर्तमान)
- (3) श्री शैलेश अवस्थी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 05.08.2021 से 16.12.2022 तक)
- (4) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 01.09.2020 से 04.08.  
2021 तक)
- (5) श्री के.के. पट्टेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 23.09.2019 से 31.08.2020 तक)
- (6) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 29.07.2019 से 20.09.  
2019 तक)
- (7) श्री के.के. पट्टेरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 10.03.2019 से 27.07.2019 तक)
- (8) श्री सी.पी. राय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 16.08.2018 से 08.03.2019 तक)
- (9) श्री जी.पी. भार्गव, प्रभार मुख्य नगर पालिका  
अधिकारी, शिवपुरी (दिनांक 16.11.2017 से 01.12.  
2017 तक)
- (10) श्री रणवीर कुमार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
शिवपुरी (दिनांक 27.01.2016 से 08.05.2018 तक)

.....अभियुक्तगण

**शपथ पत्र**

नाम :- सलोनी खेमरिया पिता श्री बृजकिशोर खेमरिया, उम्र-27 वर्ष, रसायनज्ञ, क्षेत्रीय  
कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजयपुर, तहसील-राघौगढ़, जिला-गुना  
(म.प्र.)

मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करती हूँ कि :-

- (1) यह कि, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, टैंकर पार्किंग एरिया,  
विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.) द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत किया  
गया है।

//8//

(2) यह कि, मेरे द्वारा उक्त परिवाद पत्र प्रस्तुत करने/संचालन हेतु श्री सुनील कुमार जाटव, अभिभाषक को नियुक्त किया गया है।

दिनांक 8/7/24

  
हस्ताक्षर

सत्यापन

शपथ पूर्वक सत्यापित किया जाता है कि उक्त शपथ पत्र के पद क्र. 1 लगायत 2 सत्य व सही लिखाये गये हैं कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है अस्तु प्रमाणीकरण आज दिनांक को किया जाता है।

दिनांक 8/7/24

  
हस्ताक्षर

Madhav Lake Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2022-23																	
Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	7.6	-	-	7.7	7.8	-	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8	7.5	7.8	7.6	A
2	D.O (Mg/L)	7.1	-	-	7.6	7.1	-	7.3	7.3	7.2	7.2	8.2	7.4	7.1	8.2	7.4	
3	B.O.D (Mg/l)	2.5	-	-	2.4	2.3	-	2.6	1.8	1.4	1.6	1.7	1.8	1.4	2.6	2.0	
4	Total Coli forms Organism MPN/100ml	51	-	-	34	62	-	36	26	40	-	-	-	26	62	41.5	

Madhav Lake Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2023-24																	
Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	-	7.3	-	7.4	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.6	7.5	7.2	7.2	7.8	7.5	A
2	D.O (Mg/L)	-	7.0	-	7.0	-	7.6	7.2	7.0	7.4	7.4	7.9	7.2	7.8	7.9	7.3	
3	B.O.D (Mg/l)	-	1.6	-	1.4	-	1.7	1.4	1.4	1.8	1.8	1.7	1.5	1.4	1.8	1.6	
4	Total Coli forms Organism MPN/100ml	-	-	-	-	-	34	24	22	32	18	16	26	16	34	24.6	

Madhav Lake Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2024-25																	
Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	7.6	-	7.6	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	6.3	7.6	7.2	A
2	D.O (Mg/L)	7.5	-	7.3	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.5	7.3	
3	B.O.D (Mg/l)	1.9	-	1.8	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.9	1.7	
4	Total Coli forms Organism MPN/100ml	30	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.0	30.0	29.0	

  
**CHEMIST**  
 M.P. Pollution Control Board  
 Vijaypur - Guna

Sankhya Sagar lake Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2022-23																	
Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	7.5	-	-	7.8	7.7	-	7.5	7.7	7.4	7.4	7.0	7.9	7.4	7.9	7.7	A
2	D.O (Mg/L)	7.3	-	-	7.3	6.9	-	7.1	7.2	7.1	7.2	6.7	7.6	6.9	6.7	7.4	
3	B.O.D (Mg/l)	2.5	-	-	2.8	2.4	-	2.7	1.9	1.2	1.4	1.6	1.8	1.2	2.8	2.0	
4	Total Coli forms Organism MPN/100ml	66	-	-	34	64	-	40	28	26	-	-	-	26	66	43.0	

Sankhya Sagar lake Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2023-24																	
Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	-	7.2	-	7.4	7.9	7.3	7.7	7.3	7.3	7.6	7.6	7.2	7.2	7.9	7.5	A
2	D.O (Mg/L)	-	7.0	-	7.0	-	7.4	7.0	7.0	7.2	7.8	7.8	7.0	7.0	7.8	7.2	
3	B.O.D (Mg/l)	-	1.6	-	1.6	-	1.4	1.6	1.8	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.9	1.7	
4	Total Coli forms Organism MPN/100ml	-	-	-	24	-	36	24	24	36	24	18	24	18	36	26.3	

Sankhya Sagar lake Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2024-25																	
Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	7.3	-	7.0	-	7.05	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.3	7.1	A
2	D.O (Mg/L)	7.6	-	7.0	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.6	7.3	
3	B.O.D (Mg/l)	2.0	-	2.0	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.0	1.7	
4	Total Coli forms Organism MPN/100ml	33	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.0	36.0	34.5	

  
**CHEMIST**  
 M.P. Pollution Control Board  
 Guna - Guna

**Jadhav Sagar Lake Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2022-23**

Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	7.6	-	-	7.8	7.9	-	7.9	7.7	7.3	7.1	7.9	7.9	7.1	7.9	7.7	B
2	D.O (Mg/L)	6.8	-	-	6.8	7.5	-	6.8	7.1	7.2	7.4	7.6	7.2	6.8	7.6	7.2	
3	B.O.D (Mg/l)	2.3	-	-	2.8	2.3	-	2.9	2.1	2.6	2.0	2.4	2.5	2.0	2.9	2.5	
4	Total Coll forms Organism MPN/100ml	57	-	-	45	45	-	45	32	26	-	-	-	26	57	43.8	

**Jadhav Sagar Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2023-24**

Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	-	-	-	7.6	-	7.1	7	7.4	7.1	7.5	7.6	7	7	7.6	7.3	A
2	D.O (Mg/L)	-	-	-	7.1	-	7.1	7	7	7	7.6	7.7	7.2	7	7.8	7.2	
3	B.O.D (Mg/l)	-	-	-	1.4	-	2.4	2.2	1.5	2.2	1.7	1.8	1.4	1.4	2.4	1.8	
4	Total Coll forms Organism MPN/100ml	-	-	-	-	-	35	22	22	37	29	24	24	22	38	27.5	

**Jadhav Sagar Shivpuri (Comparative Data sheet) Yr.2024-25**

Sr. No.	Parameters	April	May	June	July	Aug	Sep.	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	March	Min.	Max	Avg.	Class of Water
1	pH	7.2	-	6.8	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	6.7	7.2	6.9	B
2	D.O (Mg/L)	7.0	-	6.9	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	6.8	7.0	6.9	
3	B.O.D (Mg/l)	2.1	-	2.3	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.3	2.1	
4	Total Coll forms Organism MPN/100ml	36	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.0	42.0	36.0	

**CHEMIST**

M.P. Pollution Control Board  
Vijaypur - Guna



साख्य सागर



माधव सागर



## जाधव सागर





कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड शिवपुरी  
 Email eephedshi@mp.nic.in Fax No. 07492-408205 Phone No. 07492-223269  
 क्रमांक 2555 परि./का.यं./लो.स्वा.यां.वि./ खण्ड शिवपुरी, दिनांक 27/8/2024  
 प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी  
 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
 टैकर पार्किंग ऐरिया गेल कॉम्पलेक्स विजयपुर  
 जिला गुना

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (सी.जेड.) भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 164/24 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के अनुपालन बावत।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 644/क्षे.कार्या./म.प्र.प्र.नि.बो./2024 गुना दिनांक 12.08.2024

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि शिवपुरी झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शिवपुरी शहर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा सीवर लाइन बिछाने एवं घसारही फार्म पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो कि पूर्णतः की ओर है।

शिवपुरी शहर में बिछाई गई सीवर लाइन के सभी जोनों का गंदा पानी पाइप लाइन के माध्यम से करबला के पास स्थित जंक्शन चैम्बर में आता है, इस चैम्बर को मेन लाइन में जोड़ा जाना है।

अतः उक्त सीवर चैम्बर को मेन लाइन से जाडने में लगभग 15 दिवस का समय लगना संभावित है। जिसके उपरांत सभी जोनों का गंदा पानी/सीवेज, पाइप लाइन के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचेगा।

वर्तमान में करबला पर शहर का सीवर जोड़ने का काम के सागर में 1 के ल रहके को आदि दिनांक 27/8/24 को 15/दिन उपरोक्त काम पर कर STP के ले जाने की कार्यवाही को लावेगी।

C/S

27/8/24

Sewer project

कार्यपालन यंत्री  
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
 खण्ड शिवपुरी

Joshi's  
 Sub. Engr.

हम पंचान नीचे सही-सही हस्ताक्षर करने वाले यह पंचनामा लिखा देते हैं कि आज दिनांक 27/08/2024 को NGA के पत्र क्रमांक - 164/2024(CZ) के परिपत्रन में सहायक संचालक महोदय एवं वन परिश्रेत्र अधिकारी दक्षिण, सखिन स्टॉफ मंडला माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी द्वारा NGA टीम एवं शिकायतकर्ता के साथ करबला नाले के समीप बने स्ट्रक्चर का मौका मुआयना किया, जिसकी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी रेंज दक्षिण की बीट लुहाबली कक्ष क्रं. 55 की बाह्य सीमा से आकाशीय डूरी का आंकलन किया, जो 150 (फुट) पाई। यह स्ट्रक्चर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी की इको सेंसेटिव जोन के अंतर्गत नहीं आता है। सौंका पंचनामा बनाया तो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

Aditya  
पंचनामा

Rupam  
बीट-पुनारी मंडला

By

27/08/24

Reshma  
बीट-पुनारी लुहाबली

# कार्यालय उप संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

Mobile No. 9424794828, E-mail- fdmnp.svp@mp.gov.in

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 2251

शिवपुरी दिनांक/ 8/8/2024.

प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना

विषय :- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल में दायर प्रकरण क्रमांक Original Application No 164/2024(CZ) के संबंध में माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ :- माननीय एनजीटी के प्रकरण 164/2024 (सीजेड) आदेश दिनांक 24.07.2024

— 00 —

उपरोक्त विषयांतर्गत के तारतम्य में लेख है कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल में दायर प्रकरण क्रमांक Original Application No 164/2024(CZ) में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के पालन में माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी की एक्शन टेकन रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

1. That, present Application is filed in form of *pro bono publico* litigation raising two issues firstly uncontrolled growth of Water Hyacinth (*naturally grown free-floating perennial aquatic plant*) in the Jadhav Sagar Lake, Sakhya Sagar Lake and Madhav Lake (Manmade water bodies last two of them are within the periphery of Madhav National Park), and secondly sewage/municipal solide waste discharge into the said lakes in absence of an effective sewage treatment plant or mechanism which has resulted in severe damage caused to all the lakes and causing severe damage to the flora, fauna, and sustenance of endangered species that thrive in the Sakhya Sagar Lake.
2. That, without commenting much over the merits of matter it is humble submitted before this Hon'ble Court that, present Application deserves to be dismiss because of two folds reasons firstly Application er has only raised his concern towards the above stated problems one of which is naturally phenomenon (growth of Water Hyacinth). It is relevant to mention here that, said water bodies / Lakes are in existence for more than 100 years and competent authorities including the answering respondents are taking all reasonable care of same and are sincere towards all temporary and permanent issue raised in preservation and maintenance of said water bodies. It is purely efforts of Forest Officers the Sakhya Sagar Lake is recognized as Ramsar Site of International Importance in the Year 2022.
3. That, in response to the averment regarding sewage discharge into the said lakes in absence of an effective sewage treatment plant or mechanism it is pertinent to mention here that, due to sincere efforts of answering respondents and other authorities the issue in relation to effectively counter the rising levels of pollution in various lakes at Shivpuri said lakes of M.P. have been sanctioned under the National Lake Conservation Schemes of Ministry of Environment and Forest, Government of India since 2007 and presently Public Health Engineering Department of State of M.P. working as nodal agency under said project is continuously working over a project towards diversion of sewage through pipeline and treatment of sewage to protect the network of above mentioned lakes at Shivpuri and presently as per conversation with said department the project is almost complete and same will be in working condition within almost 4 months. A Copy of letter dated 19.06.2024 from PHE Department to Collector Shivpuri i.e. respondent no.2 showing

status of said project is enclosed herewith and marked as **Annexure R/1**. In the light of said facts it is incorrect to suggest that, on account of the failure of the District Administration, Nagar Palika and Forest Department to effectively contain or reduce pollution has resulted in severe damage to all the lakes.

4. That, in response to the uncontrolled growth of Water Hyacinth (*naturally grown free-floating perennial aquatic plant*) in the Jadhav Sagar Lake, Sakhya Sagar Lake and Madhav Lake which may irreversible damage to the flora, fauna, and sustenance of endangered species that thrive in the Sakhya Sagar Lake it is humble submitted before this Hon'ble Court that, the Park management and Respondents continuously putting efforts for preservation of the lake network and also for cleaning the lakes and control the growth water hyacinth in the lake. On various Environmental occasions such as world wetland day, world water day; life mission, world environment day etc. The cleaning of the lake being done with collaboration with schools, collages, NGO etc. A copy of few Photographs showing lake cleaning activities time to time are enclosed herewith and marked as **Annexure -R/2 (Colly)**.

A project report of 30 lakh for the period of 03 years had also been submitted to Madhya Pradesh State Bio-diversity Board to eliminate the water hyacinth from Sakhya Sagar Lake. A copy of said report is enclosed herewith and marked as **Annexure- R/3**. In response a first installment of Rs. 15 lakh also provided by the Madhya Pradesh State Bio-diversity Board to Director Lion Project, Madhav National Park Shivpuri. A copy of said document showing sanction of fund is enclosed herewith and marked as **Annexure- R/4 (Colly)**. Then Given budget being used and different methods tried to remove the water hyacinth as the lake is having Crocodiles in good numbers therefore it become necessary to be involved only skilled labor and proper machinery to remove the huge quantity of naturally grown free-floating perennial aquatic plant are required for which competent authorities are taking sincere efforts. A copy of various documents showing various efforts and steps taken by answering respondents are enclosed herewith and marked as **Annexure R/5 (Colly)** collectively.


It is relevant to mention here that, Water hyacinth being removed manually but the growth is extremely rapid especially after Covid 19 Lockdown era as it double itself in 10-15 days of period, hence need of proper machinery for automation of said process of removal of Water hyacinth is there and hence, on 16.05.2023 respondent no. 3 wrote a letter enclosing proposal to his superior authority wherein a amount of 1.25 Cr was asked for under CSR to purchase a weed harvesting machine. A copy of said conversation showing demand of fund alongwith proposal is enclosed herewith and marked as **Annexure R/6**. But till today said fund was not arranged.

It is further relevant to bring before this Hon'ble Court that, thereafter regular meetings of various concern departments was also held addressing the said issue since January-2024. In continuation the officers of nodal agency EPCO the desired long term and short term solutions been discussed and implemented as a result of that the letter has been issued by Principal Secretary, Environment Dept Govt of MP to Principal Secretary, Urban Development Govt of M.P. for provide the weed harvester machine from Indore to Shivpuri Madhav National Park Shivpuri for cleaning the lake. The process of obtaining the machine from Municipal Corporation Indore or Bhopal is under process and as soon as same was received necessary steps were taken for removal of Water hyacinth from lakes at Shivpuri. A Copy of letter dated 09.05.2024 showing said aspect is enclosed herewith and marked as **Annexure R/7**.

5. That, it is relevant to mention here that, recently vide letter dated 18.07.2024 a fresh proposal was forwarded by respondent no. 3 to superior authority wherein a request was made to provide necessary fund for Purchase of a new weed harvester machine to remove the Water hyacinth was made with a proposal to transfer the remaining amount of 1 Cr. lying in a CSR Fund after taking the approval from donor i.e. NMDC Hyderabad. After obtaining the necessary permission/clearance respondent no. 3 will be in a position to

- purchase a New Weed Harvesting machine for Shivpuri Lakes at National Park and same will work as permanent solution to the raised issue of growth of Water hyacinth. A copy of said letter dated 18.07.2024 is enclosed herewith and marked as **Annexure R/8. (Colly)**
6. A survey was conducted with a NGO having expertise in bio remedition on the stretch of 02 Km. connecting Jhadav Sagar lake to Sankhya Sagar lake and the proposed treatment proposal is under process which would be a effective solution to keep the sakhya sagar lake clean. **Annexure R/9**
  7. Another survey with a retd. Scientist of Weed Research Institute Jabalpur M.P. for bio treatment of water hyacinth through a bug develop by the institute which complete life cycle on water hyacinth and he proposed to be introduced the bug in Jadhav Sagar lake which is origin place of the water hyacinth. The same proposal has also been incorporated in intregated management plan of Sakhya Sagar lake being prepared. **Annexure R/10**
  8. That, from the above stated facts and circumstances including the documents available on record it is clear that, answering respondents are not only concern about the issue so raised in the Application but also taking sincere efforts in finding the best solution (temporary as well as permanently) to overcome the issue raised in the Application much prior to filing of present Application.
  9. That, it is relevant to bring before the kind attention of this Hon'ble Court that, entire Application is based on merry presumption regarding degradation of water in the lake due to Water Hyacinth (*naturally grown free-floating perennial aquatic plant*) in the Jadhav Sagar Lake, Sakhya Sagar Lake and Madhav Lake (Manmade water bodies last two of them are within the periphery of Madhav National Park) to examine the adverse effect a yearly Water Quality Testing Report obtained from competent authority i.e. M.P.P.C.B (Madhya Pradesh Pollution Control Board) JAN- DEC 2023 is enclosed herewith which shows that, the water quality of Shakya Sagar lake is 'B' Category as per the norms of Central Pollution Control Board. A copy of Water Quality Testing report alongwith relevant documents are enclosed herewith and marked as **Annexure R/11 (Colly)**.
  10. That, it is further relevant to clarify here that, drone survey was conducted and in pictures taken by drone the clear water can be seen in larger part of all three lake. The copy of the photographs taken through Drone are enclosed herewith and marked as **Annexure R/12** collectively.
  11. That, present short reply is bona-fide in nature and hence deserves to be taken on record in the interest of justice.

It is therefore most humble prayed to this Hon'ble Court that, present short reply be taken on record and considering the facts and circumstances mentioned in the present short reply present Application may kindly be dismissed in the intrest of justice .

  
(प्रतिभा अहिरवार)  
भा.व.से.  
उप संचालक  
माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी

(11) (1) R/I

# राज्य कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग खण्ड शिवपुरी

Email [eeppedshi@mp.nic.in](mailto:eeppedshi@mp.nic.in) Fax No. 07492-408205 Phone No. 07492-223269

नांक ..... / परि. / का.यं. / लो.स्वा.यां. / खण्ड / शिवपुरी, दिनांक .....

ते,  
कलेक्टर, महोदय  
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

**विषय:-** माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर रिट पिटीशन नं. 7100/2022 आदित्य राज पांडे विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में जबाबदावा प्रस्तुत करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर रिट पिटीशन नं. 7100/2022 में जबाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश है, जसमें बिन्दु नं. 2 की जानकारी इस प्रकार है:-

शिवपुरी झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा शिवपुरी नगर में सीवर नेटवर्क का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है:-

- (अ). प्रथम चरण :- सीवर लाइन बिछाना एवं अन्य विविध कार्य।
- (ब). द्वितीय चरण:- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य।

शिवपुरी शहर से लगभग 7-8 कि.मी. दूर घसारई फार्म पर 20 एम.एल.डी. क्षमता का एस. बी.आर. पद्धति का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

शिवपुरी शहर में ब्रांच सीवर लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्तमान में माधव नेशनल पार्क क्षेत्र में 1100 मि.मी. व्यास की लगभग 25 मीटर लम्बाई में शेष रही ट्रंक सीवर लाइन का कार्य प्रगतिरत है, जिसके बाद टैस्टिंग कार्य किया जावेग टैस्टिंग के दौरान शहर की लाइनों में कुछ स्थानों पर आवश्यक मिलान कार्य भी करके योजना चालू की जावेगी जिसमें 04 माह का समय लगना संभावित है।

विभाग द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित योजना राशि रु. 120.83 करोड की स्वीकृति हेतु शासन को भेजी गई है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) भोपाल द्वारा योजना पुनरीक्षण हेतु असहमति व्यक्त की है। जिस कारण शिवपुरी शहर में शेष रहे सीवर कार्य एवं हाउस होल्ड कनेक्शन इत्यादि कार्य अमृत-2.0 परियोजना में शामिल करने हेतु वर्तमान में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड शिवपुरी

दिनांक 19/6/2024

प्र.क्रमांक 1787 परि. / का.यं. / लो.स्वा.यां.वि. / खण्ड / शिवपुरी.

प्रतिलिपि:-

सहायक संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।

22905  
2

कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड शिवपुरी



Cleaning of Sakhya Sagar Lake



Screen to check entering the water hyacinth in to Sakhya Sagar Lake



Cleaning of Sakhaya Sagar Lake



Brick Kiln (closed) Near Jadhav Sagar



Idol immersion in a artificial pond near Jadhav Sagar



R/3

(17)  
(7)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, सिंह परियोजना, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

Mobile No. 9424794805, E-mail- fdmmp.svp@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/205

शिवपुरी दिनांक/19-01-2023

प्रति,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सारथी सचिव  
किसान भवन, प्रथम तल, अरेशा हिल्स, भागल

- विषय - साख्या सागर झील से जलकुम्भी निकालने हेतु बजट आवंटन के संबंध में।
- संदर्भ - आपका पत्र क्र/जैविबो/सहा.स.रा/(सी.एण्ड.डी) /2022/02 दिनांक 02.01.2023

— 00 —


विषयांतर्गत के तारस्थ में निवेदन है कि संदर्भित पत्र से माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के साख्या सागर झील से जलकुम्भी सफाई कार्य के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र पर तैयार किया जाकर स्वीकृति हेतु संलग्न प्रेषित है।


संलग्न : उपरोक्तानुसार


  
 मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक  
 सिंह परियोजना, शिवपुरी  
 शिवपुरी दिनांक/19-01-2023

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/206  
प्रतिलिपि :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) प्रगति भवन, तृतीय तल, एम पी. नगर, जोन-1, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।

  
 मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक  
 सिंह परियोजना, शिवपुरी



Time  
Copy  


18

B

# Madhya Pradesh State Biodiversity Board

## Format for Major Research and Documentation Projects

### A. Project Summary

1	Title of the Project	Sankhaya Sagar Lake Restoration
2	Project Duration	03 years
3	Project Cost	30 Lakh
4	Executing Agency	Madhav National Park, Shivpuri
5	Principal Investigator	
	1 Name	Shri Uttam Kumar Sharma
	2 Designation	Director Lion Project, Shivpuri
	3 Qualification	
	4 Address	
	I Office	Khinni Naka, Shivpuri
	II Residence	Kothi No -2 Physical Road, Shivpuri
	5 E-mail Address	fdmnp.svp@mp.gov.in

### B. Detailed Proposal

1	Background	More than 100 years old heritage lake supports many Aquatic & Terrestrial birds & animal recently recognized as Ramsar Site by UNESCO
2	Rationale of the Study (Please also specify how the project is different from and/or builds on projects of similar nature)	Cleaning of lake From heavy infestation of water hyacinth and other garbage
3	Review of Research and Development in the subject- (i) International Status  (ii) National Status  (iii) Significance of the study	Ramsar Site  Sankhaya Sagar Lake, Heritage site, National Park  The lake supports more than 19-Fishes species, 3-Birds species and Wildlife of Madhav National Park
4	Study Objectives	To revive the lake through cleaning and removal of weeds and Garbage
5	Project Area or Target Group	Sankhaya Sagar lake, Madhav National Park
6	Methodology (i) Research Design          (ii) Sampling	A- Water sampling and analysis. 1 Sampling for base data 2 Aeration /clearing of weeds and garbage. 3 Re-sampling for the results B- Mop-up of weeds  Sampling at 1- Karbala Bridge 2- Near MPT( Tourist Village) 3- Sailing Club 4- Dam 5- Drainage Gates

23905  
ATara Gupta  
L

(19)  
9

(iv) Research tools/instruments (Questionnaire, Schedule, research plots etc)	Effect of cleaning through resampling/screening of waste						
7. Research Plan (i) Research Activities (Corresponding to each of the research objectives)  (ii) Time plan (for executing the activities)	1- Sampling & analysis 2- Cleaning activities. 3- Sampling and analysis again after cleaning  03 Years						
8. Whether this project involves handling of any of the taxa (Floral/Faunal)-	Floral: Yes						
if so please provide details -	Water hyacinth (Eichhornia Crassipes)						
(i) Scientific name of the species and their quantity to be handled during the project period	Qty:- Approx. 40-50 ton						
(ii) legal status of the species under Indian Acts	Weed						
(iii) Covered under Wildlife Protection Act, 1972	No						
(iv) Whether the project involves entering and doing research in a Protected Area (PA)	Yes						
(v) If yes, details of the PA	Madhav National Park, Shivpur						
(vi) Whether you have obtained required legal permissions from the authority under the relevant Act.	Yes						
(vii) Please produce the certified copy of the permission with duration.							
(viii) Permission document attached Yes/No	Yes						
9. Project Output/outcomes (What the study will result into)	Water quality improvement which support Biodiversity of the area.						
10. Deliverables (What all will be submitted to the Board e.g Mid term reports, Completion report, poster photos etc.)	completion reports/photos Mid-term reports, Completion reports						
11. Financial Assistance Sought Professional costs (Personnel/ manpower costs e.g. Research Assistants etc)  Field costs (Costs incurred for undertaking field work)  Capital Costs (for equipments etc.) Administrative support. (Please give details along with basis of costing) Note: Capital cost should not be more than 10% of the project cost	13.5 Lakh.  1.5 Lakh						
12. Break up of Financial Assistance Sought	<table border="1"> <tr> <td>Year I</td> <td>Year II</td> <td>Year III</td> </tr> <tr> <td>15 Lakh</td> <td>10 Lakh</td> <td>5 Lakh</td> </tr> </table>	Year I	Year II	Year III	15 Lakh	10 Lakh	5 Lakh
Year I	Year II	Year III					
15 Lakh	10 Lakh	5 Lakh					
13. Organizational Capability Details (Details of projects executed earlier and infrastructure facilities available)	Skilled man power Boat 30 HP						



Law Dept  
✓

20  
1b

14	Endorsement of the project by the organization	
15	How the project will help MPSBB to achieve its goals 1. Conservation of Biodiversity 2. Sustainable use of Biodiversity 3. Benefit Sharing arising out of commercial use of bio-resources (ABS)	Lake is Supports -19 fish species, 73 birds species and other Wildlife of Madhav National Park, shivpuri  This project will conserve BD of the Lake
16	Bank Details for disbursement of funds	
	(i) Name of Bank	HDFC Bank Ltd
	(ii) Account Holder's Name	MPTFS Shivpuri
	(iii) Account Number	50100286903743
	(iv) Address of Bank	Raj Mandir Bhavan Madhav Chock A B road, Shivpuri
	(v) IFSC Code	HDFC0000907
17	Final sanction and release of fund will be subject to prior compliance of S.No. 8	

**Declaration**

1. I/We shall abide by the rules governing the project in case assistance is provided to me/us from M.P.S.B.B for the above project.
2. I/We shall obtain mandatory permissions required for under taking project in protected areas under Wildlife Protection Act, 1972 from the Chief Wildlife Warden and Principal Chief Conservator of Forests, M.P. prior to initiation of the project.
3. I/We shall obtain specific permission for handling of any Wildlife or collection of sample from the Chief Wildlife Warden and Principal Chief Conservator of Forests, M.P. prior to initiation of the project.
4. I/We shall be responsible for obtaining and compliance of all legal permissions required under any other law applicable in relation to execution of the project.
5. I/We shall complete the project within stipulated period. If I/we fail to do so and if Board is not satisfied with progress of research project Board may terminate the project and ask for refund of amount received by me/us.
6. The above research project is not funded by any other agency and funding support on the same will not be sought from any other agency.
7. Full audited Utilization Certificate will be submitted at the end.
8. If I fail to comply with any of the above I shall be subject to prosecution under the relevant section of the Act along with a ban from Government funding in future forever

CCF & Director  
Lion Project, Shivpuri



True Copy  
[Signature]



# MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

## मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(Statutory, Autonomous and Regulatory Body of Govt. of M. P. | म. प्र. शासन की वैधानिक, स्वायत्त एवं निव्वामक संस्था)

क्रमांक / जैविवि / सहा.स.स. (परि.) / 2023 / 377  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7-2-23

मुख्य वन संरक्षक एवं  
संचालक सिंह परियोजना,  
माधव राष्ट्रीय उद्यान,  
जिला-शिवपुरी (म.प्र.)।

विषय: माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर एवं माधव जलाशय से जलकुम्भी के उन्मूलन के संबंध में।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र/स्वीकृति आदेश क्र/जैविवि/सहा.स.स.(परि)/2023/34  
भा.प.ल. दिनांक 25.01.2023.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर एवं माधव जलाशय से जलकुम्भी के उन्मूलन हेतु प्रथम निश्चिंत राशि रूपये 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रु.) खाता नम्बर 50100286903743 दिनांक 03.02.2023 को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से प्रेषित की गई है।

रूपमा पावती से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(डॉ. एलिजाबेथ थॉमस)  
सहायक सदस्य सचिव (परियोजना)

पु. क्र. / जैविवि / सहा.स.स. (परि.) / 2023 / 378

भोपाल, दिनांक 7-2-23

प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन-प्राणी प्रगति भवन, जोन 1, एम.पी. नगर, भोपाल की ओर सूचनाार्थ प्रेषित।

(डॉ. एलिजाबेथ थॉमस)  
सहायक सदस्य सचिव (परियोजना)

o/c

# Utilization Certificate

(22)

(12)

## मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल

### उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(अवधि- 20/12/22 से 20/12/22 तक)

संस्था का नाम 14 डिप्टी कमिश्नर, जैव विविधता, भोपाल

जिला भोपाल

परियोजना का नाम जैव विविधता अभियान

मं. राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रदाय राशि 1000000/-

बोर्ड द्वारा प्रदाय राशि	उपयोग की गई राशि	उपयोग की गई राशि का नद्वार विवरण
	1311227/-	1. 2. 3. 4.

-:घोषणा:-



Taru Singh

b/h  
 R.O. Southern  
 MAF Bhopal

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, एवं संचालक, सिंह परियोजना, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी

दिनांक 17-08-2023 को सांयकाल 5:00 बजे कलेक्टर शिवपुरी सभाकक्ष में आयुक्ता ग्वालियर की अध्यक्षता में

आयोजित संभाग स्तरीय टास्कफोर्स बैठक की कार्यवाही का विवरण

बैठक में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे :-

1. आयुक्ता ग्वालियर संभाग/चबल संभाग
2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी
3. मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी
4. वनमण्डलधिकारी, सामान्य वनमण्डल, शिवपुरी
5. उप संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी
6. ए.डी.एम शिवपुरी
7. सहायक नोडल अधिकारी, डी.ए.टी.सी. शिवपुरी

बैठक में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

- 1- कमिश्नर महोदय ग्वालियर संभाग द्वारा बताया गया कि पर्यटन प्रान शिवपुरी के रेनोवेशन कार्य पर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी प्रबंधन द्वारा एन.जी.टी. के निर्देशों के तहत कार्य करने हेतु लेख किया गया था कि आदेश में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित भोपाल के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर समीक्षा की गई एवं आवेदन पर पुनः कार्य प्रारंभ करने हेतु अनुशासना की गई।
- 2- भद्रेश कुण्ड पर पूर्व में एक कैफेटेरिया संचालित था। उपरोक्त के संबंध में एन.जी.टी. में प्रकरण दायर किया गया। एन.जी.टी.ए. की गाईडलाइन अनुसार एवं समय-समय पर आयोजित टास्कफोर्स की बैठक के उद्घार पर यह सहमति दी गई कि उक्त कैफेटेरिया गभी के नीसम में सूर्योदय से रात्रि 9:00 बजे तक एवं संधी के मौसम से सूर्योदय से रात्रि 7:00 बजे तक संचालित किया जा सकता है। उक्त कैफेटेरिया में किसी तरह का ध्वनि, बाध्यांत्र नहीं बजाया जायेगा।
- 3- माधव राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत बलारपुर मंदिर के संबंध में आयोजित होने वाले समस्त सनारोह जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत एवं निगरानी में होना चाहिये। मंदिर पर होने वाले समारोहों/कार्यक्रमों हेतु एक समिति बनाई जाये, जिसमें ए.डी.एम. जिला शिवपुरी, सहायक संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं एक जनप्रतिनिधि शामिल किया जाये एवं कार्यक्रमों हेतु गाईडलाइन निर्धारित की जाये, ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
- 4- साध्या सागर जलाशय की जलकुंभी हटाने हेतु म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा जलकुंभी हटाने हेतु मशीन उपलब्ध कराई जाकर साध्या सागर से जलकुंभी हटाने का कार्य माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन की अनुमति से किया जा सकेगा।
- 5- माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पर्यटकों के भ्रमण हेतु बाहनों का पंजीकरण कराने हेतु सहायक नोडल अधिकारी डी.ए.टी.सी. शिवपुरी को निर्देश दिये कि वह माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन से समन्वय बनाकर बाहन पंजीकरण की कार्यवाही करेंगे।



श्रीलान्त - NGT Guideline

DEPUTY DIRECTOR  
MAHARAJA NATIONAL PARK  
SHIVPUR (M.P.)

आयुक्ता  
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

True Copy  
[Signature]

# कार्यालय उप संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी

24

14

दिनांक 16-1-2024 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का विवरण

बैठक में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे :-

1. श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर जिला शिवपुरी।
2. श्रीमती प्रतिभा अहिरवार, उप संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी।
3. श्री विनोद कुमार शर्मा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, शिवपुरी।
4. श्री एल.पी.सिंह, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, शिवपुरी।
5. श्री डॉ. के.एस. सगर, सी.एम.ओ, शिवपुरी।
6. श्री अनिल कुमार सोनी, सहायक संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी।
7. श्री सौरभ गौड़, डी.ए.टी.सी.सी, शिवपुरी।
8. श्री सचिन चौहान, सहायक यंत्री, नगर पालिका शिवपुरी।
9. श्री वृंदावन यादव, परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण, मा.ग.उ. शिवपुरी।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :-

- 1- उप संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी द्वारा बताया गया की शिवपुरी शहर से आने वाले गंदे पानी के कारण साख्या सागर जलाशय में जलकुंभी अत्यधिक मात्रा में फैल गयी, जिसका उन्मूलन किया जाना आवश्यक अनगथा जलकुंभी पूरे तालाब को घेर लेगी और जलीय जंतुओं पर इसका विपरीत प्रभाव रहा है।
2. कलेक्टर शिवपुरी द्वारा कहा गया की जलकुंभी के उन्मूलन हेतु आयुक्त, नगर निगम को पत्र को लिखे, शहर से आने वाले गंदे पानी को साख्या सागर में रोकने हेतु पानी का ट्रीटमेंट जाधव सागर के आसपास किया जा सकता है। जाधव सागर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाना होगा।

कलेक्टर शिवपुरी द्वारा बताया गया कि जलकुंभी उन्मूलन/सफाई जूट के माध्यम से कराया जा सकता है, जिसके लिए पार्क क्षेत्र में सफाई करने वाले को बार-बार आना जाना होगा, जिसकी अनुमति जारी करना होगी। संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. भोपाल से रवीकृति लेनी होगी।

- 3- जल संसाधन विभाग के उपयंत्री श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि यह तालाब लगभग 100 वर्ष पुराना है जिसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। विगत वर्षों में इसकी भरभरात का कार्य कराया गया था, किन्तु फिर भी उसमें पानी का रिसाव होता रहता है। इसके नवीन बाउंड्री बनाने के प्रस्ताव वरिष्ठ को भेजे गये हैं। इसके अलावा साख्या सागर तालाब के तटिकल गेट बनाने के प्रस्ताव भी वरिष्ठ को भेजे गये हैं।

कलेक्टर शिवपुरी द्वारा जल संसाधन विभाग के उपयंत्री को उक्त प्रस्तावों की प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

True Copy

उप संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी द्वारा कलेक्टर शिवपुरी को अवगत कराया गया कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के अंदर झिरना मंदिर पर दिनांक 11.2.2024 से 17.2.2024 तक मंदिर के महंत द्वारा एक यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, इसके संबंध में संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा महंत को समझावश दी गयी है कि संरक्षित क्षेत्र में इस तरह के यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया जाना प्रतिबंधित है। फिर भी यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन होना संभावित है जिसमें अत्याधिक श्रद्धालुओं के पहुंचाने की संभावना है अतः उक्त अवधि में पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता रहेगी, ताकि उस क्षेत्र में किसी तरह की वनहानि एवं विवाद कि स्थिति निर्मित न हो सके।

कलेक्टर शिवपुरी द्वारा इस संबंध में आवश्यक सहयोग करने हेतु सहमति दी गई।

उप संचालक

माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक/17-1-24

पू क्रमांक/स्टेनो/2023/163

प्रतिलिपि

1. मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, सिंह परियोजना, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ सन्धेपित।
2. कलेक्टर जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ सन्धेपित।
3. संबंधित विभाग ..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।
4. सहायक संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण/मध्य, मा.रा.उ. शिवपुरी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप संचालक

माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी



True copy

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग, शिवपुरी (म.प्र.)

पत्र क्र 689 / तक./चांदपाठा/2024

शिवपुरी दिनांक 18/05/2024

(29)  
16

सहायक संचालक

माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

विषय : माननीय उच्चन्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में दायर रिट पिटीशन क्र.7100/2024 अदित्यराज पांडे विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में जवाब प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्र./सी.सी.-2/2024/59। शिवपुरी दिनांक/16.05.2024

-----0-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि चांदपाठा डैम में शिवपुरी शहर से आने वाला मुख्य नाला जाधव सागर से होता हुआ मिलता है। नाले में शहर का कचरा एवं उदयोगी द्वारा छोड़ी गयी अपशिष्ट सामग्री के कारण इसके पानी में जलीय जीवों बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जलकुम्भी है। चांदपाठा डैम में वर्ष भर जलकुम्भी इतनी अधिक मात्रा में रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर डैम के वेस्ट वीयर के गेटों से पानी छोड़ने पर जलकुम्भी गेटों के नीचे फंस जाती है, जिससे गेट सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और वर्षाकाल में पानी गेटों एवं बांध के ऊपर से निकल जाता है, जिससे डैम को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।

वर्ष 2021 के वर्षाकाल को अतिवृष्टि में गेटों में जलकुम्भी फंस जाने के कारण बाढ़ का पानी गेटों एवं बांध के ऊपर से निकल गया था, जिससे डैम को एवं उसके नीचे बसे 4 ग्रामों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 30.11.2023 को पत्र द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को चांदपाठा डैम को जलकुम्भी से उत्पन्न होने वाले खतरे से अवगत कराया गया है एवं वेस्ट वीयर के गेटों को हटाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने की अनुमति मांगी है, जिसकी अनुमति अपेक्षित है। चांदपाठा डैम की उम्र लगभग 100 साल से अधिक है, डैम बहुत पुराना होने के कारण इसकी मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है। डैम को जलकुम्भी से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाव हेतु डैम की भजबूती के लिए वर्ष 2021 में ₹.60.10 करोड़ मरम्मत का प्रस्ताव भी वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित किया है, जो जंबित है। दिनांक 18.01.2024 को कलेक्टर सभागार शिवपुरी में संयुक्त बैठक में हुयी चर्चानुसार जलकुम्भी की सफाई हेतु विभागीय दरों पर निविदा आमंत्रण हेतु प्राक्कलन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है साथ ही जलकुम्भी की सफाई की दो मशीनें क्रय करने का प्रस्ताव भी प्रेषित किया गया है, जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है।

सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विनीत कुमार शर्मा)

कार्यपालन यंत्री

जलसंसाधन संभाग, शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक

पू. क्र / तक./चांदपाठा/2024

प्रतिनिधि:

- (1) कलेक्टर शिवपुरी की ओर सूचनाएँ प्रेषित।
- (2) मुख्य अभियंता यमुना कछर जल संसाधन विभाग ग्वालियर की ओर सूचनाएँ प्रेषित।
- (3) अधीक्षण यंत्री जलसंसाधन मंडल ग्वालियर की ओर सूचनाएँ प्रेषित।
- (4) अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उपसंभाग क्र.2, शिवपुरी की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शिवपुरी म.प्र.

email:- ccwr@shivpuria.yahoo.com

Ph.No. 17492-221354

शिवपुरी दिनांक

18/01/2024

पृ.क्र. 90 कार्य/2024

प्रति,

कार्यपालन यंत्री

विद्या भारी मशीनरी संभाग

धारीपुर ग्वालियर (म.प्र.)

विषय- जल कुम्भी निकालने हेतु मशीन खरीदने बाबत।

संदर्भ- पर्याप्त दस्तावेजों की समीक्षा बैठक दिनांक 18.01.2024 को कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देश।

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क शिवपुरी के घाटी और पर्यटन विकास की दृष्टि से कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बहुत कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज दिनांक 18.01.2024 को कलेक्टर संभाग में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर महोदय द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ चटपाठा तालाब, सारनालिक एवं अन्य तालाबों में बढ़ती हुई जल कुम्भी को समूल नष्ट करने हेतु कार्य की शर्तों एवं निर्देश दिये गये कि जल संसाधन विभाग जल कुम्भी नष्ट करने हेतु कार्य योजना तैयार करे। उक्त परिप्रेक्ष्य में विभाग की ओर से रुपये 174.00 लाख का एक वर्ष का प्राक्कलन बैठक में प्रस्तुत किया गया। नद उपरांत कलेक्टर महोदय द्वारा जल कुम्भी की स्थायी समस्या को हल करने हेतु दो मशीन खरीदने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

कृपया जल कुम्भी निकालने हेतु दो मशीन खरीदने की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे प्रतिबंध होने वाली समस्या का हल ही सके।

(विनोद कुमार शर्मा)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 18/01/2024

पृ.क्र. 91 कार्य/2024

प्रतिनिधि:-

1. कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी की ओर सूचनाएं सम्बंधित।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि रुपये 174.00 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्बंधित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

प्राक्कलन एका प्रति में

(विनोद कुमार शर्मा)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग

शिवपुरी (म.प्र.)

5778wrDAU

(22)  
(19)

Details of Estimate

Clearance of Jalkumbhi from Chandpatha Tank, Shivpuri

S.No	Particulars	No.	1.	II	III	Qty.
1	2.	3.	4	5	6	7.
1	Clearance of Jalkumbhi water fully from water bodies including removing and rental cost of boat, labour etc complete and disposal of material by burning including all other charges for materials and machinery etc complete					
1	Clearance of Jalkumbhi in 00% of total area of Chandpatha Tank twice a year	2	0.10	2330000	-	2706000.00 sqm.
2	Clearance of Jalkumbhi in connecting channel between Jadhav Sagar & Chandpatha Tank twice a year	2	2100	35	-	147000.00 sqm.
					Total	2943000.00 sqm.

*(Signature)*  
(V.S. Dangi)  
Sub Engineer

*(Signature)*  
(R.S. Shejwar)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Division No.2  
Shivpuri (M.P.)



True Copy  
*(Signature)*

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग, शिवपुरी (म.प्र.)

29  
20

पत्र क्र 689 / त.क./चांदपाठा/2024

शिवपुरी दिनांक 18/05/2024

प्रति,

सहायक संचालक

जाधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

विषय : माननीय उच्चन्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में दायर रिट पिटीशन क्र.7100/2024 अदित्यराज पांडे विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य में जवाब प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्र./सी.सी.-2/2024/591 शिवपुरी दिनांक/16.05.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि चांदपाठा डैम में शिवपुरी शहर से आने वाला मुख्य नाला जाधव सागर से होता हुआ मिलता है। नाले में शहर का कचरा एवं उद्योगों द्वारा छोड़ी गयी अपशिष्ट सामग्री के कारण इसके पानी में जलीय जीवों बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से जलकुम्भी है। चांदपाठा डैम में वर्ष भर जलकुम्भी इतनी अधिक मात्रा में रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर डैम के वेस्ट वीयर के गेटों से पानी छोड़ने पर जलकुम्भी गेटों के नीचे फंस जाती है, जिससे गेट सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और वर्षाकाल में पानी गेटों एवं बांध के ऊपर से निकल जाता है, जिससे डैम को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।

वर्ष 2021 के वर्षाकाल की अतिवृष्टि में गेटों में जलकुम्भी फंस जाने के कारण शहद का पानी गेटों एवं बांध के ऊपर से निकल गया था, जिससे डैम को एवं उसके नीचे बसे 4 ग्रामों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था; उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 30.11.2023 को पत्र द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को चांदपाठा डैम को जलकुम्भी से उत्पन्न होने वाले खतरे से अवगत कराया गया है एवं वेस्ट वीयर के गेटों को हटाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने की अनुमति मांगी है, जिसकी अनुमति अपेक्षित है। चांदपाठा डैम की उम्र लगभग 100 साल से अधिक है, डैम बहुत पुराना होने के कारण इसकी मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है। डैम को जलकुम्भी से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचाव हेतु डैम की भज्जूतों के लिए वर्ष 2021 में ₹.60.10 करोड़ मरम्मत का प्रस्ताव भी वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित किया है, जो खंडित है। दिनांक 18.01.2024 को कलेक्टर सभागार शिवपुरी में संयुक्त बैठक में हुयी चर्चानुसार जलकुम्भी की सफाई हेतु विभागीय दरों पर निविदा आमंत्रण हेतु प्राक्कलन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है साथ ही जलकुम्भी की सफाई की दो मशीनें क्रय करने का प्रस्ताव भी प्रेषित किया गया है, जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है।

सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(विनोद कुमार शर्मा)

कार्यपालन यंत्री  
जलसंसाधन संभाग, शिवपुरी (म.प्र.)  
शिवपुरी दिनांक

पृ. क्र. / त.क./चांदपाठा/2024

प्रतिलिपि:

- (1) कलेक्टर शिवपुरी की ओर सूचनाएँ प्रेषित।
- (2) मुख्य अभियंता यमुना कच्छर जल संसाधन विभाग ग्वालियर की ओर सूचनाएँ प्रेषित।
- (3) अधीक्षण यंत्री जलसंसाधन मंडल ग्वालियर की ओर सूचनाएँ प्रेषित।
- (4) अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन उपसंभाग प्र.2, शिवपुरी की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक

30  
21

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग शिवपुरी म.प्र.  
email: ccwardshivpuria@yahoo.com  
Ph.No. 97492-221354

शिवपुरी दिनांक 18/01/2024

प.क्र. 90 कार्य/2024  
प्रति,

कार्यपालन यंत्री  
विभाग भारी मशीनरी सभाग  
धारीपुर ग्वालियर (म.प्र.)

विषय- जल कुम्भी निकालने हेतु मशीन खरीदने बाधत।  
संदर्भ- पर्यटन एवं लघुमण्ड की समीक्षा बैठक दिनांक 18.01.2024 को कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देश।

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क शिवपुरी के चारों ओर पर्यटन विकास की दृष्टि से कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसका महत्व कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज दिनांक 18.01.2024 को कलेक्टर सभाग में एक बैठक आयोजित हुयी। बैठक में कलेक्टर महोदय द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ घाटपाठा तालाब, माधवसेक एंड अन्य तालाबों में बढ़ती हुयी जल कुम्भी का समूल नष्ट करने हेतु कार्य की गयी एवं निर्देश दिये गये कि जल संसाधन विभाग जल कुम्भी नष्ट करने हेतु कार्य योजना तैयार करे। उक्त परिपेक्ष्य में विभाग की ओर से रुपये 174.00 लाख का एक वर्ष का प्रावकलन बैठक में प्रस्तुत किया गया, महोदय परांत कलेक्टर महोदय द्वारा जल कुम्भी की स्थायी समस्या को हल करने हेतु दो मशीन खरीदने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

कृपया जल कुम्भी निकालने हेतु दो मशीन खरीदने की कार्यवाही करने का कष्ट करे, जिससे प्रतिवर्ष होने वाली समस्या का हल हो सके।



(विनोद कुंवर शर्मा)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन सभाग  
शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 18/01/2024

प.क्र. 91 कार्य/2024  
प्रतिनिधि-

1. कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी की ओर सूचनायें सम्प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि रुपये 174.00 लाख का प्रावकलन स्वीकृत एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार  
प्रावकलन एक प्रति में

(विनोद कुंवर शर्मा)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन सभाग  
शिवपुरी (म.प्र.)

5778wardAU


## रामसर साईट के जलाशयों से जलकुम्भी निकालने के संबंध में टीप

शिवपुरी जिला मुख्यालय पर जाधव सागर, सांख्या सागर (चांदपाठा तालाब) एवं माधवलेक स्टेट समय के जलाशय स्थित हैं। सांख्या सागर (चांदपाठा तालाब) रामसर साईट में शामिल है। उक्त तीनों जलाशय वर्तमान में लगभग पूर्ण रूप से जलकुम्भी (Water Hyacinth) से आच्छादित है। सांख्या सागर (चांदपाठा तालाब) एवं माधवलेक के चहुँओर माधव नेशनल पार्क की सीमा है। उक्त जलाशय जल संसाधन विभाग के आधिपत्य में हैं एवं जाधव सागर स्थानीय निकाय के आधिपत्य में है। स्थानीय निकाय के पास एवं जल संसाधन विभाग के पास इस प्रकार के कोई साधन नहीं हैं कि वह Mechanized तरीके से जलकुम्भी को दूर कर सकें। शिवपुरी शहर को पे-जल की आपूर्ति हेतु सांख्या सागर (चांदपाठा तालाब) से पानी माधवलेक में छोड़ा जाता है, फिर स्थानीय निकाय स्थापित पम्पों के माध्यम से फिल्टर प्लांट तक पानी ले जाती है। वर्षात के मौसम में एवं कभी-कभी जलकुम्भी सांख्या सागर (चांदपाठा तालाब) के बांध में लगे ऑटोमेटिक रेडियल गेटों में फस जाती है, जिससे गेट ऑपरेट करने में बहुत परेशानी होती है। तुरन्त समाधान के लिये जल संसाधन विभाग अस्थाई व्यवस्था कर श्रमिकों के माध्यम से जलकुम्भी हटाकर कार्य सुचारु रूप से संचालन करता है।

शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क शिवपुरी के चारों ओर पर्यटन विकास की दृष्टि से कार्य योजना तैयार करने हेतु कलेक्टर महोदय शिवपुरी की अध्यक्षता में दिनांक 18.01.2024 को एक बैठक हुई, बैठक में प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार स्थाई रूप से जलकुम्भी निकालने हेतु जल संसाधन संभाग शिवपुरी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 90/कार्य/2024 शिवपुरी दिनांक 18.01.2024 के तहत कार्यपालन यंत्री वि./यां. भारी मशीनरी संभाग थाटीपुर ग्वालियर को 02 मशीनें खरीदने हेतु लेख किया गया एवं विभाग के अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल ग्वालियर को प्रतिलिपि देकर रुपये 174.00 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया। जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कलेक्टर महोदय को भी प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी। पत्र की प्रति संलग्न है।

कलेक्टर महोदय शिवपुरी द्वारा भी प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल को कार्यालयीन प.क्र./इडा/2024/39 शिवपुरी दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से 02 मशीनें खरीदने हेतु लेख किया गया एवं तात्कालिक तौर पर जल संसाधन विभाग द्वारा Manually सफाई की जाना आवश्यक है, का उल्लेख किया गया, प्रतिलिपि संलग्न है। जिसके परिपेक्ष्य में प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा संज्ञान लेकर प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल को कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा उनके पत्र क्रमांक 3211967/वृ./2016 दिनांक 26.02.2024 द्वारा प्रकरण में संदर्भित पत्रों का परीक्षण करते हुये विस्तृत टीप एवं स्पष्ट अभिमत चाहा गया है, प्रतिलिपि संलग्न है। उक्त पत्र के पालन में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माह फरवरी-2024 में रामसर साईट का International Convention में भी उक्त जलाशयों से जलकुम्भी निकालने हेतु चर्चा हुई है।

  
(विनीत कुमार शर्मा)  
कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन संभाग  
शिवपुरी म.प्र.

(22) (23)

Details of Estimate

**Clearance of Jalkumbhi from Chandpatha Tank, Shivpuri**

S.No	Particulars	No	U.	U.	DTI	Qty.
1	2	3	4	5	6	7
1	Clearance of Jalkumbhi water Lily from water bodies including removing and rental cost of boat, labour etc complete and disposal of material by burning including all other charges for materials and machinery etc complete					
1	Clearance of Jalkumbhi in 60% of total area of Chandpatha Tank twice a year	2	0.00	2130000	-	2796000.00 sqm.
2	Clearance of Jalkumbhi in connecting channel between Jalkumbhi Sagar & Chandpatha Tank twice a year	2	2100	35	-	147000.00 sqm.
<b>Total</b>						<b>2943000.00</b> Sqm.

*[Signature]*  
 (V.S. Dangi)  
 Sub Engineer

*[Signature]*  
 (R.S. Shejwar)  
 Sub Divisional Officer  
 Water Resources Sub Division No.2  
 Shivpuri (M.P.)



True copy  
 ✓

288 (21)

Abstract of cost

Clearance of Jalkumbhi from Chandpatha Tank, Shivpuri

S No. USR No.	Particulars of Item	Qty.	Rate	Unit	Amount
1. 9.05	Clearance of Jalkumbhi water Lily from water bodies including removing and rental cost of boat, labour etc. complete and disposal of material by burning including all other charges for materials and machinery etc complete				
	Clearance of Jalkumbhi from Chandpatha Tank and connecting channel	2943000 sqm.	5.00	Sqm.	14715000.00
Total					14715000.00
Add 18% G.S.T.					2648700.00
Grand Total					17363700.00

*V.S. Dang*  
(V.S. Dang)  
Sub Engineer

*V.K. W.A.D.*  
(विनायक पुनवट पुनवट)  
जल संसाधन विभाग  
शिवपुरी (M.P.)

*R.S. Shejwari*  
(R.S. Shejwari)  
Sub Divisional Officer  
Water Resources Sub Division No.2  
Shivpur (M.P.)



True copy  
*[Signature]*



# कार्यालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म०प्र०)

(दूरभाष (मं.) 0532-231700 (द.) 231701-231702, 231724 email: distoffice-shivprmr@gmail.com)

पत्रांक/इडा/2024/39

शिवपुरी, दिनांक-19/01/2024

प्रति,

✓ प्रमुख सचिव,

म०प्र० शासन, जल संसाधन विभाग,

भोपाल

विषय:- रामसर साईट के जलाशयों से जल कुम्भी निकालने के संबंध में।

विषयांतर्गत विवेदन है कि शिवपुरी जिला मुख्यालय पर जयध्व सागर, सत्या सागर एवं माधव लेक स्थित हैं। सांख्य सागर रामसर साईट में शामिल है। उक्त तीनों जलाशय वर्तमान में लगभग पूर्णरूप से जल कुम्भी (Water Hyacinth) से आच्छादित हैं। सांख्य सागर झील के चहुँओर माधव लेकजल धाके की सीमा है। स्थानीय निकाय के पास इस प्रकार के कोई साधन नहीं है कि यह Mechanical तरीके से इन्हें दूर कर सके और न ही जल संसाधन विभाग के पास। विदित हो कि उक्त तीनों तालाबों का संचारण जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है।

इन तालाबों से जल कुम्भी को निकालने जाने की अत्यंत आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष फरवरी माह में रामसर साईट का International Convention होगा है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये इन तालाबों का जल कुम्भी मुक्त करने हेतु दो मशीनों (Aquatic Weed Harvester) की आवश्यकता है, जिनकी अनुमानित राशि लगभग 3.00 करोड़ रुपये है एवं तात्कालिक तौर पर जल संसाधन विभाग द्वारा Manually सफाई की जाना आवश्यक है। शासन स्तर से उक्त के लिये समुचित निर्देश संबंधितों को प्रसारित किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न:- कार्यपालन बंजी, जल संसाधन विभाग का पत्र

(रवीन्द्र कुमार चौधरी) 19/01/24

कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी, दिनांक-19/01/2024

पत्रांक/इडा/2024/

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, ग्वालियर संगम, ग्वालियर ।
- 2- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 3- अधीक्षण बंजी, जल संसाधन मण्डल ग्वालियर ।
- 4- कार्यपालन बंजी, जल संसाधन विभाग, जिला शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

D&T

19/01/24

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)

कलेक्टर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

True Copy

25 (26)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी म.प्र.

email:- ecyrb@shivpurii@jalooa.com

Ph.No. 07492-221354

प.क्र. 90/कार्य/2024

शिवपुरी दिनांक 13/01/24

प्रति,

कार्यपालन यंत्री  
शिवपुरी नगीनरी विभाग  
शिवपुरी नगीनरी (म.प्र.)

विषय: जल कुम्भी निकालने हेतु नगीनरी खरीदने का प्रस्ताव

संदर्भ: पर्यटन इकायमेंट की समीक्षा बैठक दिनांक 18.01.2024 को कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देश।

--000--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिवपुरी जिले में आरक्षित नगरपालिका शिवपुरी के जल पर्यटन विकास की दृष्टि से कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें जल कलेक्टर महोदय का अध्यक्षता में आज दिनांक 18.01.2024 को कलेक्टर महोदय के एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर महोदय द्वारा जल कुम्भी के साथ-साथ सोलर पंप, सोलर पंप एवं अन्य तकनीक से बनी हुई जल कुम्भी को सतत तट कराने हेतु कार्य को गंभीरता से निरीक्षण में विभाग को और से रुपये 174.00 लाख का एक वर्ष का प्राकल्पन बैठक में प्रस्तुत किया गया, जहाँ पर कलेक्टर महोदय द्वारा जल कुम्भी की स्थायी समस्या को हल करने हेतु दो नगीनरी खरीदने हेतु निर्देश देते गये हैं।

कृपया जल कुम्भी निकालने हेतु दो नगीनरी खरीदने की कार्यवाही करने का कष्ट कर, जिले प्रतिवर्ष होने वाली समस्या का हल हो सके।



(विनोद कुमार शर्मा)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन विभाग

शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 18/01/2024

प.क्र. 91/कार्य/2024

प्रतिनिधि-

1. कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी की ओर कृपया सम्प्रेषित।
2. अधीक्षक यंत्री, जल संसाधन विभाग शिवपुरी की ओर प्रेषित लेख है कि रुपये 174.00 लाख का प्राकल्पन स्वीकार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार  
प्राकल्पन एक प्रति है

कार्यपालन यंत्री  
जल संसाधन विभाग  
शिवपुरी (म.प्र.)

5776wdAU

R/6

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, सिंह परियोजना, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

Mobile No. 9424794805, E-mail- ffrmp.svp@mp.gov.in

(37) (28)

क्रमांक/व्यय./2023/1217

शिवपुरी दिनांक/16.05.2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(वन्यप्राणी)  
प्रगति भवन, तृतीय तल, एम.पी. नगर  
जोन-1 मोपाल (म.प्र.)

विषय - CSR Proposal 2023-24

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./व्यय/1191 दिनांक 12.05.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत के तारतम्य में निवेदन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सी.एस.आर. (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के तहत बजट मांग हेतु आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये संशोधित प्रस्ताव तैयार किये जाकर निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(उत्तम कुमार शर्मा)  
भा.व.से

मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक  
सिंह परियोजना, शिवपुरी



Tare G



39  
30

5	बीड हायड्रेंट्स प्रयोग, रामसर साइट आक्वाटिक वेड्स का निवृत्ति (Aquatic Weed Management)	125	1	125	रुकिए 26.07.2022 को मा.रा.ड. में स्थित साकस्य सागर ड्रीम राजसर साइट पर स्थित होने उपरोक्त पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केन्द्र बना चुका है। इसमें जलकुम्भी एवं अन्य बरतलवार अत्यधिक मात्रा में होने के कारण ड्रीम में बाढ़े जाने वाली जैवविविधता को खतरा बना हुआ है इसलिये इसको हटाना आवश्यक है।
<b>D</b> <b>एतिहासिक भवनों का जीर्णोद्धार कार्य।</b>					
6	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के अंतर्गत ऐतिहासिक बिल्डिंग जार्ज केलन बरादरी, घंटाघर, सेंटिंग क्लब आदि का मरम्मत कार्य।	1.5		170.0	माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में 100 वर्ष अधिक पुरानी अनेक ऐतिहासिक भवनो, जो पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केन्द्र हैं। ये भवन कीलड स्टाफ के लिए भी वन एवं वन्यजीव सुलहा के दौरान अत्यंत उपयोगी होती है।
<b>E</b> <b>सुरक्षा श्रमिकों/पेट्रोलिंग कैम्प व्यवस्था हेतु</b>					
7	क्लासिक मॉस्कीटो नेट्स (डबल बेड) (Classic Mosquito Net for Double Bed 949 per piece)	0.01	250	1	कीलड स्टाफ सुरक्षा श्रमिकों को कैम्पों में रात के दौरान उपयोग करने हेतु
8	थर्मल कोटल्स (1 लीटर) (Milton Duo DLX 1000 Thermosted 1099 per piece)	0.011	250	2.8	गर्मी के मौसम में कीलड स्टाफ सुरक्षा श्रमिकों को उपयोग हेतु
9	कैमोफ्लेज सूतीकपड़े (M-100, L-100)	0.008	250	2.0	कीलड स्टाफ सुरक्षा श्रमिकों को उपयोग करने हेतु
10	पी कैप (Standard Size)	0.003	250	0.8	कीलड स्टाफ सुरक्षा श्रमिकों को उपयोग करने हेतु
11	पेट्रोलिंग टैपर (Standard Size)	0.01	100	1.0	पेट्रोलिंग कैम्प/अवधार्क कैम्पों के उपयोग हेतु।

#SCOP\_official/p/Wildlife/CSR Project-2020-24/csr proposal (11)



Jan 2021

12	सोलर फैन (Solar Panel Powered Fan, DC 5V USB)	0.019	100	1.9	पेट्रोलिंग कैम्प/अस्थायी कैम्पों के उपयोग हेतु।
13	बैग (प्लेक बैग) Safari Flash Casual Backpack, 26 ltr	0.008	250	2.0	आवश्यक सामग्री Carry करने हेतु।
14	हम्टर रूज (M-300, L-300)	0.014	250	3.5	फील्ड स्टॉक सुरक्षा कर्मियों को उपयोग करने हेतु।
15	सोलर टॉर्च (XOSSER Aluminum 7 Mode) Rechargeable Solar LED)	0.013	250	3.3	जंगल में अंधेरे में उपयोग करने हेतु।
16	गैस चूल्हा (LPG) (Baja) Popular Eco, 2-Burner Open Stainless Steel)	0.0261	30	0.8	पेट्रोलिंग कैम्प/अस्थायी कैम्पों में स्टॉक को भंडारण बनाने हेतु।
17	टैबिल (Standard Size)	0.015	60	0.9	पेट्रोलिंग कैम्प/अस्थायी कैम्पों के उपयोग हेतु।
18	स्टील बॉक्स बट्टा (4'x6')	0.019	30	0.6	राशन, कपड़े इत्यादि सामग्री रखने पेट्रोलिंग कैम्प/अस्थायी कैम्पों के उपयोग हेतु।
19	पलंग लोहा (4'x6')	0.02	60	1.2	पेट्रोलिंग कैम्प/अस्थायी कैम्पों में जहरीले कचरों को जलाने हेतु।
20	पानी (5 लीटर)	0.07	60	4.2	पेट्रोलिंग कैम्प/अस्थायी कैम्पों में भोजन बनाने हेतु।
21	पानी की टंकी (स्टील) (500 लीटर)	0.25	60	3.0	पेट्रोलिंग कैम्प/अस्थायी कैम्पों में पीने पानी के उपयोग हेतु।
22	कटेजर सेट (स्टील) (1 लीटर)	0.15	30	4.5	कैम्पों में पशु भोजन रखने हेतु।
23	बाल्टी (15 लीटर)	0.04	60	2.4	पेट्रोलिंग कैम्प/अस्थायी कैम्पों में गहने आदि के उपयोग हेतु।
<b>TOTAL</b>				<b>37.20</b>	
<b>Grand Total</b>			<b>517.20</b>		

मुख्य वरिष्ठ अधिकारी एवं संचालक,  
सिंह परियोजना, शिवपुरी च.प्र.



True Copy  
[Signature]

R/7

32

म. प्र. शासन  
पर्यावरण विभाग मंत्रालय,  
वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9/3/24

क्रमांक 1298 पीएस/पर्यावरण/2024

प्रति,  
प्रमुख सचिव  
नगरीय विकास एवं आवास, मंत्रालय,  
वल्लभ भवन, भोपाल (म. प्र.)

विषय - साख्य सागर, रामसर साईट, शिवपुरी में जलकुम्भी (Water Hyacinth) नियारण के संबंध में।  
सन्दर्भ - कलेक्टर शिवपुरी का पत्र क्रमांक 122 दिनांक 13-02-2024।

कृपया उपरोक्त पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कलेक्टर शिवपुरी ने पत्र के माध्यम से साख्य सागर तालाब जो माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी की सीमा में स्थित है, तथा देश के 80 रामसर साइट्स में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण डेटलैंड है में जलकुम्भी खरपतवार की समस्या का उल्लेख किया है।

उल्लेख है कि वर्तमान में शिवपुरी जिला प्रशासन एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विभाग के पास जलकुम्भी उन्मूलन हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं है। कलेक्टर शिवपुरी ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि साख्य सागर में जलकुम्भी उन्मूलन हेतु इंदौर व भोपाल नगर निगम के पास उपलब्ध वीड हावैस्टर मशीन को अस्थायी तौर पर जिला प्रशासन शिवपुरी को उपलब्ध कराया जाये। इन मशीनों के उपयोग से जलकुम्भी का उन्मूलन कर साख्य सागर तालाब की जैव विविधता एवं इकोलॉजी को बचाया जा सकता है।

इसके दृष्टिगत अनुरोध है कि जलकुम्भी के उन्मूलन हेतु वीड हावैस्टर मशीन जिला प्रशासन, शिवपुरी को अस्थायी तौर पर उपलब्ध करने हेतु भोपाल एवं इंदौर नगर निगम आयुक्तों को यथा निर्देशित करने का कष्ट करें।

(गुलशन शामरा)  
प्रमुख सचिव  
म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग

पृ.क्र. प्रतिलिपि : पीएस/पर्यावरण/2024 दिनांक / /2024

1. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, म. प्र. शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान वन मुख्य संरक्षण (वन्य प्राणी), प्रगति भवन, एम.पी. नगर, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदरय सचिव राज्य डेटलैंड प्राधिकरण एवं कार्यपालन संचालक, एफको भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर भोपाल, जिला भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
5. कलेक्टर इंदौर, जिला इंदौर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. कलेक्टर शिवपुरी, जिला शिवपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी सूचनार्थ प्रेषित।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव  
म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग



R/8

42

33



# कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना, शिवपुरी



07492-223379, mob : 9424794805, E-mail- filmnp.svp@mp.gov.in

क्रमांक/अय/2024/3011  
प्रति

शिवपुरी, दिनांक/18/7/2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
(वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक,  
सी-ब्लॉक, भूतल, वन भवन, रिग रोड नम्बर-2  
तुलसी नगर, भोपाल (म.प्र.)

विषय - माधव राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत साख्वा सागर जलाशय में जलकुंभी उन्मूलन हेतु NMDC की राशि से Weed Harvesting Machine क्रय करने के संबंध में।

— 00 —

विषयांतर्गत निवेदन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पक्की दीवाल मग वारवेड वायर फेंसिंग एवं वॉच टावर निर्माण हेतु NMDC से राशि रु. 13.32 करोड़ स्वीकृत हुये थें। उक्त कार्य हेतु MP-E Tender Portal निविदा आमंत्रित की गई थी। उक्त निविदा में न्यूनतम दर पर पक्की दीवाल मग वारवेड वायर फेंसिंग निर्माण एवं वॉच टावर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अनुमानित रूपसे 1.00 करोड़ राशि की बचत होगी। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के अन्तर्गत साख्वा सागर जलाशय में जलकुंभी अत्यधिक मात्रा में फैल गई है, इसके कारण जलाशय का पानी अत्यधिक खराब हो रहा है, जिससे वन्यप्राणियों एवं जलीय जीव जन्तुओं का रहवास नष्ट होने का संकट उत्पन्न होने की संभावना है। इस कारण साख्वा सागर जलाशय से जलकुंभी के उन्मूलन हेतु एक Weed Harvesting Machine (लागत अनुमानित राशि रु. 1.00 करोड़) क्रय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः शेष बची अनुमानित रु. 1.00 करोड़ राशि से Weed Harvesting Machine क्रय करने हेतु NMDC, हैदराबाद से अनुमति हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध है।



True Copy  
L

(सतलज कुमार शर्मा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
सिंह परियोजना, शिवपुरी

34



# कार्यालय उप संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

☎ 07492-223379, mob : 9424794828, E-mail- fdmnp.svp@mp.gov.in

क्रमांक/स्टेनो/मा.चि/2024/2029

शिवपुरी, दिनांक/18-7-2024

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,  
नगर पालिका, शिवपुरी (म.प्र.)

विषय :- साख्या सागर झील रामसर साइट माधव नेशनल पार्क में शहरी क्षेत्र का सीवेज वाटर का प्रवेश रोकने के संबंध में।

संदर्भ :- रामसर साइट का सर्टिफिकेट दिनांक 7 जनवरी 2022

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि साख्या सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत एक घोषित रामसर साइट है, जिसका संरक्षण कानूनी रूप से अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में शहर का अधिकांश सीवेज वाटर जाधव सागर एवं करबला से होते हुये साख्या सागर में प्रवेश कर रहा है, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(6) का भी उल्लंघन है। सीवेज वाटर साख्या सागर झील में आने से वहाँ के जलीय वन्यजीव जन्तुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः निर्देशित किया जाता है कि साख्या सागर झील में प्रवेश करने वाले सीवेज वाटर का नियमानुसार उपचार एवं निस्तारण करें, जिससे कानून का उल्लंघन न हो एवं वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षित हो सके। अध्ययन एवं आंकड़ों के अनुसार शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की 37-40 प्रजातियां रामसर साइट पर सूचीबद्ध की गई हैं।

संलग्न :- संदर्भित प्रमाण पत्र।

उप संचालक

माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक/18-7-2024

पू.क्रमांक/स्टेनो/मा.चि/2024/2030

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंह परियोजना शिवपुरी की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- संदर्भित प्रमाण पत्र।

उप संचालक

माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी

Ramsar

CONVENTION ON WETLANDS  
CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES  
CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES  
(Ramsar, Iran, 1971)

This is to certify that

*Sakhiya Sagar*

has been designated as a

Wetland of International Importance

and has been included in the  
List of Wetlands of International Importance  
established by Article 2.1 of the Convention.  
This is site No: 2483

Date of designation: 07 January 2022



Martha Rojas Urrego  
Secretary General  
Convention on Wetlands

35



218  
36

# Madhya Pradesh Tiger Foundation Samiti

Reg. No. 4263/97  
O/o Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife), Madhya Pradesh  
CG-05, C-Block, Ground Floor, Van Bhavan, Link Road No.-2, Tulsi Nagar, Bhopal (462003)  
Email: mptigerfoundation@mp.gov.in, Phone no.: 0755 2674318

Ref./ MPTFS/ 6027

Date: 24/7/2024

To,

Shri. P. Shyam  
NMDC Ltd.  
Hyderabad

**Subject:** Requirement of Weed Harvesting Machine for eradicating water hyacinth in Sakhya Sagar Reservoir under Madhav National Park.

**Ref:** 1. Your Official Letter No/HO/CSR/501 dated: 01.11.2023  
2. ACCF & Director Lion Project, Madhav NP Letter No/Expenditure/2024/2011 Dated 18.07.2024

With reference to the letter cited above, the proposal for the construction of a boundary wall in Madhav National Park, with a length of 13.6 km, had been previously submitted and funds of Rs. 13.32 crore were sanctioned by NMDC under CSR. We are thankful to you for this fruitful contribution.

For the proposed work, tenders were invited through the MP-E Tender Portal and the project was initiated at the lowest rate. As a result, an estimated balance of Rs. 1.00 crore will be available upon the completion of the construction of a concrete wall with wire fencing and a watch tower.

Currently, the Sakhya Sagar Reservoir within Madhav National Park, Shivpuri, is experiencing a significant issue with the spread of water hyacinth. This invasive plant is deteriorating the water quality of the reservoir, posing a threat to the habitat of both wild and aquatic animals. To address this, a Weed Harvesting machine, estimated at Rs. 1.00 crore, is essential to eradicate the water hyacinth from the reservoir.

In light of the anticipated balance amount from the boundary wall project, we request your approval to utilize the remaining funds for the purchase of the Weed Harvesting Machine.

We appreciate your prompt attention to this matter and look forward to your positive response.

Encl: As above.

4  
1/1/2024  
25/7/2024  
LHO-6028



Regards

(Subharanjan Sen)  
PCCF & CWLW (Wildlife)  
Madhya Pradesh

Bhopal, Date 24-7-2024

Copy to:

1. APCCF & Director Lion Project, Madhav National Park

For information and necessary action.

PCCF & CWLW (Wildlife)

2) **Bio Treatment/ bio remediation via specific plants:-** A project in collaboration with the NGO "For-Rest" is also under pipeline to get rid of water hyacinth and other pollutants from the upstreams of the Sankhya Sagar lake through Bio Treatment/ bio remediation via specific plants at the stretch of approx 2.0 km long canal connecting Jadhav sagar & Sankhya Sagar Lake. Bio remediation successfully applied in many water streams in the country and results has been found quite satisfactory.



Figure-12

1. Proposed Long term Sustainable Solutions involves:-

- 1) Sewage disposal through a channel to Sewage treatment plant
- 2) Primary treatment of water before it enters Jadhav Sagar Lake
- 3) Stopping all types of solid waste disposal in Sankhya Sagar, Jadhav Sagar, and Madhav Sagar lakes.
- 4) Biological treatment of Sankhya Sagar, Jadhav Sagar, and Madhav Sagar lakes infested by the water hyacinth through reeds like Phragmites which will control the growth of water hyacinth and provide habitat to aquatic species like mugger and aquatic birds.
- 5) Stream treatment in the water channel connecting Jadhav Sagar and Sankhya Sagar through Re-meandering. This stream Restoration treatment method will adopt a combination of microbes, sunlight, and oxygen manipulation which is found in stable streams. The main advantage of natural treatment is that it is environmentally friendly and uses natural processes to purify water. Restoration used natural materials like rock, logs, and native plants to restore the stream channel before it enters the Sankhya Sagar Lake.
- 6) Conservation Consciousness in the local community, for the entire plan of lake rejuvenation throughout the work through meeting and group discussions and through other creative mediums like nukkad nataks, display boards etc.
- 7) Participation of local community in the lake rejuvenation work, like making local active volunteers' group to ensure the sustainability of the work.

Project Timeline- 5 Years & active restoration- 2 Years

# Schematic Diagram of proposed Bio remediation:-

20

## Wetland Zones

### Upland:

Characterized by woody shrubs and trees canopy and forest

### Shrub:

Characterized by shrubs, trees and sedges

### Wet meadow:

Characterized by plants such as sedges, grasses, rushes and herbs

### Emergent:

Cattails and other plants that emerge from the water & flourish in the zone

### Aquatic:

Characterized by submerged plants and those with floating leaves



Figure-13

## 1. Criticality of the proposed solution

Active participation of all the stakeholders is required for the sustainable solution like

- Local municipal body/ bodies
- Wetland authorities
- Forest department
- Local community
- Any other local body having authority over lakes associated.

## Expected Outcomes

- ✓ Growth of natural native reeds in the lakes which will control the growth of water hyacinth naturally.
- ✓ Revived and rejuvenated lakes with restored biodiversity in the long term
- ✓ Active local community involved in the lake conservation
- ✓ Disposal of treated sewage in the downstream area with no harmful ecological effects on lakes.

## B. Long Term sustainable Solutions: -

- 1) **Treatment through bio- bug:-** A natural bio bug which is already developed and tested by Central Weed Research Institute, Jabalpur MP proposed to be introduced at the source of Water hyacinth at Jadhav Sagar Lake which is situated in revenue area and connected with Sankhya Shar Lake through a canal of 2.0 km length



Figure-11

Source: Internet

### 1. Proposed Long term Sustainable Solutions involves:-

- 1) Introduction and incubation of the Bug in sufficient quantity at Jadhav Sagar.
- 2) According to the previous study 25000 bugs have been found sufficient in the infested area of 01 hectare.
- 3) Bugs multiply and feed on stem of the water hyacinth and retard its growth.
- 4) The bugs do not have other host therefore it grow only on water hyacinth.
- 5) It is also found over long study that the bugs also not affected the other vegetation and living creatures except the water hyacinth.
- 6) Conservation Consciousness in the local community, for the entire plan of lake rejuvenation throughout the work through meeting and group discussions and through other creative mediums like nukkad natak, display boards etc.

Project Timeline- 4 Years & active restoration- 2 Years

4/1/1  
43  
27

# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टेकर पार्किंग ऐरिया, गैल कामप.विजयपुर, जिला गुना (म.प्र.) 473117  
ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com  
दूरभाष नं. 07544 274098



क्रमांक  
प्रति,

222

क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2024

गुना, दिनांक 13/05/2024

श्री अजित कुमार जी.पी.  
सहायक संचालक  
माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी (म.प्र.)  
Email : dk@mp.svp@mp.gov.in

विषय:- सांख्य सागर झील की अद्यतन जल गुणवत्ता की Comparative रिपोर्ट कावत्।  
संदर्भ:-(1) मान. एनजीटी के प्रकरण 143/2015 (सीजेड) आदेश दिनांक 29.03.2016  
(2) मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर WP 7100/2024  
(3) आपका पत्र क्रमांक/सी.सी.-2/2024/575, शिवपुरी दिनांक 04.05.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र के संबंध में सांख्य सागर झील, शिवपुरी की जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक की जल गुणवत्ता की तुलनात्मक रिपोर्ट (Comparative Report) आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(डी.सी.एस. जायवाल)  
क्षेत्रीय अधिकारी



True Copy  
L

Regional Office M.P. Pollution Control Board Guna

Water Quality Compretive Report

Sample Description : Sankhya sagar at shivpuri

Duration : Jan 2024 to Apr 2024

Parameter	Unit	Jan (10-01-24)	Feb (14-02-24)	March (13-03-24)	April (16-04-24)
Alkalinity as CaCO3	mg/l	110	115	220	150
Ammonical Nitrogen	mg/l	0.56	0.45	0.40	0.8
Chlorine Dioxide (ClO2)	mg/l	1.2	1.2	1.5	2
Calcium Hardness as CaCO3	Mg/Lts	70	80	300	110
Chemical Oxygen Demand	mg/l	14	13	56	43.4
Chloride	mg/l	45	44	58	49.2
Conductivity	micromhos/cm	392	374	460	790
Dissolved Oxygen	mg/l	7.8	7.8	7	5
Fecal Coliform	MPN/100 ml	4	3	4	3
Magnesium Hardness as CaCO3	Mg/Lts	30	30	68	60
Nitrate	mg/l	1.25	1.15	0.78	0.96
pH	pH Units	7.59	7.65	7.24	7.3
Phosphate	mg/l	0.75	0.12	1.5	1.2
Potassium	mg/l	1.3	1.16	1.52	1.3
Sodium	mg/l	17.5	7.8	10.76	10
Sulphate	mg/l	9.7	0.18	12.77	13.3
Suspended Solids	mg/l	21	21	74	70
Temperature	Centigrade	20	22	27	24
Total coliform	MPN/100 ml	24	18	24	33
Total Dissolved Solids	mg/l	245	235	300	460
Total Hardness as CaCO3	mg/l	100	110	368	170
Total Solids	mg/l	266	256	374	530
Turbidity	N.T.U.	3	2	2.4	3

*(Signature)*  
 (Saloni Khemariya)  
 Chemist

*(Signature)*  
 Chemist



*(Handwritten signature)*

Sr No	Par	Unit	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-
1	Alkalinity as CaCO3	mg/l	230	165	180	160	200	230	220	150	210	230	230	200
2	Ammonical Nitrogen	mg/l	1.2	1.26	0.9	1.2	0.8	0.8	0.71	0.85	0.98	1.32	0.77	0.31
3	B.O.D (3 Days 27°C)	mg/l	1.4	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	0	1.4	1.6	1.8	1.9
4	Calcium Hardness as CaCO3	Mg/Lts	360	90	150	100	400	308	348	133	150	240	288	130
5	Chemical Oxygen Demand	mg/l	44	25	22	24	85.38	95	135.6	0	44	54	54	56
6	Chloride	mg/l	55	65	85	67	87.4	87	87.34	32	54	67	88	52
7	Conductivity	µmhos/cm	340	410	440	360	770	640	500	652	820	630	960	700
8	Dissolved Oxygen	mg/l	7.2	8.7	7.6	6.5	7	7.5	7	0	7.4	7	7	7.2
9	Fecal Coliform	MPN/100 ml	0						6	0	3	6	6	3
10	Magnesium Hardness as CaCO3	Mg/Lts	54	70	60	55	82	85	64	56	90	52	56	50
11	Nitrate	mg/l	1.37	1.45	0.8	1.5	0.9	0.90	0.77	0.6	1.1	1.42	0.94	1.2
12	pH	pH Units	7.38	7.61	7.87	7.62	7.25	7.35	7.38	7.68	7.34	7.7	7.26	7.2
13	Phosphate	mg/l	1.8	1.6	1.3	1.5	0.7	0.70	1.21	1.2	1.4	1.35	1.3	1.2
14	Potassium	mg/l	1.24	2.11	1.1	2.2	1.6	1.80	1.46	1.2	1.3	1.26	1.25	1.4
15	Sodium	mg/l	11.24	16.03	11.8	15.8	10.4	10.40	10.25	11	11.26	12	11.56	10
16	Sulphate	mg/l	15.34	17.1	12.6	17.5	14.16	14.0	12.48	14	14.4	14	14	14
17	Suspended Solids	mg/l	64	26	34	24	85	65	58	53	60	76	84	80
18	Temperature	Centigrade	18	19	22	22	25	25	25	24	25	25	25	26
19	Total Coliform	MPN/100 ml	0						34	0	36	24	24	36
20	TOTAL Dissolved Solids	mg/l	220	237	276	238	500	540	378	345	520	404	361	481
21	Total Hardness as CaCO3	mg/l	414	160	170	155	482	484	412	189	200	292	344	181
22	Total Solids	mg/l	284	263	312	262	565	605	436	398	580	480	425	568
		g/L	4	7	4	3	24	2	1.8	2.4	3	2.6	2.2	3

Compiled by...



48  
BTD

## Designated Best Use Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C: 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20C: 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 day: 20C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Ministry of Health for

True Copy

Ministry of Health for

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2000

G.S.R. 742(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2000
- (2) Save as otherwise provided in this notification, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, —
  - (1) In Schedule I, after serial number 89 relating to Noise standards for fire crackers and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

## 90. Standards for coal mines

## 1. Air Quality Standards

The Suspended Particulate Matter (SPM), Respirable Particulate Matter (RPM), Sulphur dioxide (SO<sub>2</sub>) and Oxides of Nitrogen (NO<sub>x</sub>) concentration in downwind direction considering predominant wind direction, at a distance of 500 metres from the following dust generating sources shall not exceed the standards specified in the Tables I, II and III given below:

## Dust Generating Sources

Loading or unloading, Haul road, coal transportation road, Coal handling plant (CHP), Railway siding, Blasting, Drilling, Overburden dumps, or any other dust generating external sources like coke ovens (hard as well as soft), briquette industry, nearby road etc.



Tanus copy  
L



Jadhav Sagar Lake Latest Dron picture



Sankhya Sagar Lake In Madhav National Park Shivpuri



Madhav Lake In Madhav National Park Shivpuri



# कार्यालय नगर पालिका परिषद शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक:- 27/8/24

क्रमांक / न.पा.प. / 3568/2024


प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
विजयपुर, गुना म.प्र.

विषय:- माननीय एन.जी.टी. ORIGINAL APPLICATION क्र. 164/2024  
संदर्भ:- संयुक्त भ्रमण दिनांक 27.08.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शिकायतकर्ता द्वारा जाधव सागर के समीप नाले को कॉन्क्रीटाईजेशन करने से बायोडायवर्सिटी को हानि का उल्लेख किया गया है जिसके क्रम में लेख है कि नगर पालिका द्वारा अमृत-2 योजना अंतर्गत जाधव सागर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्य में तालाब का बंड निर्माण, स्टोन पिचिंग आदि सम्मिलित है। उक्त कार्य से तालाब एवं नाले की बायोडायवर्सिटी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी।

संलग्न:- डी.पी.आर.  
निविदा प्रपत्र;

  
मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद शिवपुरी



Item No.2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL  
(Through Video Conferencing)**

**Original Application No. 164/2024(CZ)**

Jagrat Agarwal & Ors.

Applicant (s)

Vs.

MoEF & CC & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: **12.12.2024**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s): Ms. Rashika Narain, Adv.  
For Respondent(s): Ms. Parul Bhadoria, Adv.  
Mr. Dharamvir Sharma, Adv.

**ORDER**

1. The issues raised in this application are discharge of untreated water into the water body/lake throwing the municipal solid waste into the water bodies in violation of rules and to examine the matter, a committee was constituted with direction to submit the factual and action taken report. The Members of the committee visited the site and submitted the report with following two serious objections :
  - i. Discharge of untreated water into the water bodies are still continuing though STP has been constructed but sewer line and house hold connections are yet to be completed.

- ii. The committee observed that some of the structures are shown in the water body coming within the purview of encroachment.
2. In view of the above, the Learned Counsel for the applicant sought a short time to file the response on the joint committee report. Respondents are directed to submit the reply within two weeks. The District Magistrate, Shivpuri, Chief Executive Officer, Municipal Council, Shivpuri and State Pollution Control Board are directed to take necessary actions and to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the water body and encroachment if any found as pointed out by the members of the joint committee must be removed according to rules. Further Action Taken Report may be filed within three weeks.
3. Applicant is directed to inform by way of issue of notice to the respondent /District Magistrate, Shivpuri and the Municipal Council, Shivpuri to file the response, if any.

List it on **12<sup>th</sup> February, 2025.**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. A Senthil Vel, EM**

12<sup>th</sup> December 2024  
O.A. No. 164/2024(C2)  
K



**क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
 डॉक्टर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प, विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112  
 ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

NGT Urgent



दूरभाष नं. 07544-274098

क्रमांक 1172 क्षे.का/प्र.नि.बो./2024  
 प्रति,

विजयपुर, दिनांक. 13/12/2024

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,  
 नगरपालिका परिषद, शिवपुरी

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने बावत्।

संदर्भ:- मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 164/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 164/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2024 में आदेशित है कि:-

- (1) Discharge of untreated water into the water bodies are still continuing though STP has been constructed but sewer line and house hold connections are yet to be completed.
- (2) The committee observed that some of the structures are shown in the water body coming within the purview of encroachment.

The District Magistrate, Shivpuri, Chief Executive Officer, Municipal Council, Shivpuri and State Pollution Control Board are directed to take necessary actions and to ensure that there should not be any discharge of untreated water into the water body and encroachment if any found as pointed out by the members of the joint committee must be removed according to rules. Further Action Taken Report may be filed within three weeks.

मान. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है एवं लेख है कि, शिवपुरी शहर के घरेलू दूषित जल को बिना उपचार के नालों के माध्यम से वर्तमान में माधव नेशनल पार्क, में स्थित सांख्य सागर झील में निस्सारित किया जा रहा है। पूर्व से निर्मित दूषित जल उपचार संयंत्र के माध्यम से घरेलू दूषित जल को उपचार कर उसका उपयोग बागवानी, सिंचाई व अन्य कार्यों में करना सुनिश्चित करने एवं किसी भी परिस्थिति में उक्त अनउपचारित दूषित जल-मल प्राकृतिक जल स्रोत (सांख्य सागर/चांदपाटा झील) में निस्सारित न होने पायें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक  
 प्रतिलिपि:-

क्षे.का/प्र.नि.बो./2024

विजयपुर, दिनांक.

1. सदस्य सचिव महोदय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर लेख है कि, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।
2. कलेक्टर महोदय, जिला शिवपुरी की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।
3. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।
4. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्रमांक 3629 / का.य. / लोक.स्वा.या. / परि. / खण्ड / शिवपुरी दिनांक 16/12/2024  
प्रति

क्षेत्रीय कार्यालय,

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैकर पार्किंग ऐरिया

गैल काम्प.विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.) - 473112

विषय- माननीय एन.जी.टी(ई) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 164/2024 में पारित दिनांक 19/11/2024 के अनुपालन बाबत।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 1136-1139/क्षे.कार्या./म.प्र.प्र.नि.बो./2024 गुना दिनांक 04/12/2024

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि माननीय एन.जी.टी(ई) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 164/2024 में पारित आदेश दिनांक 19/11/2024 के पालन में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

- 1- बिन्दु क्रमांक 1 पी.एच.ई विभाग से सम्बंधित नहीं है।
- 2- बिन्दु क्रमांक 2 पी.एच.ई विभाग से सम्बंधित नहीं है।
- 3- बिन्दु क्रमांक 3 पी.एच.ई विभाग से सम्बंधित नहीं है।
- 4- बिन्दु क्रमांक 4 पी.एच.ई विभाग से सम्बंधित नहीं है।
- 5- बिन्दु क्रमांक 5 पी.एच.ई विभाग से सम्बंधित नहीं है।
- 6- बिन्दु क्रमांक 6 पी.एच.ई विभाग से सम्बंधित नहीं है।
- 7- बिन्दु क्रमांक 7 पी.एच.ई विभाग से सम्बंधित नहीं है।
- 8- बिन्दु क्रमांक 8 पी.एच.ई विभाग से सम्बंधित नहीं है।


9- बिन्दु क्रमांक 9 के सम्बन्ध में लेख है कि पी.एच.ई विभाग द्वारा जाधव सागर एवं आईरा फेक्ट्री पर नाला ट्रेपिंग का कार्य किया गया है। शहर में 100/91 कि.मी सीवर लाईन बिछाई गई है और 20 एन.एल.डी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है जिनका टेरिटींग कार्य प्रगतिरत है, टेरिटींग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अशोधित पानी को शहर के तालाबों एवं झीलों में मिलने से रोका जा सकेगा।

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड शिवपुरी

पृष्ठक्रमांक...../का.य./लोक.स्वा.या./परि./खण्ड/शिवपुरी  
प्रतिलिपी-

दिनांक.....

डिप्टी क्लर्क/प्रभारी अधिकारी जिला शहरी विकास अधिकरण शिवपुरी के पत्र क्रमांक 945 दिनांक 06/12/2024 के तारतम्य में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग  
खण्ड शिवपुरी



Regional Office, Madhya Pradesh Pollution Control Board  
Tanker Parking Area, Gail Complex Vijaypur, Distt-Guna (M.P.) -473112, (☎) -07544-274098  
Email :- repcb-guna@mp.gov.in



No. 9 / R.O./M.P. PCB/ 2024 / Vijaypur- Guna, Dated.. 17.12.24

FORM XII  
(NOTICE OF INTENTION TO HAVE SAMPLE ANALYSED)  
[Rule 34]

To, मुख्य नगर पालिका अफिसरी  
नगर पालिका परिसर शिवपुरी  
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Take notice that it is intended to have analysed the sample of water/ sewage/ effluent/ trade effluent which is being taken today the 17.12.2024 समय 11.00 बजे  
of मुख्य नगर पालिका शिवपुरी इच्छित नमूना जगह

चांद पारा झील में मिलने से पूर्व नहरवाला शरीफ के पास  
जिला पालिका निवास क्षेत्र के इच्छित नमूना जगह झील में मिलने के बाद  
Name and designation of the person who takes the sample  
K.B. Sharma Lab Asst

(i) Here specify the stream, well, plant, vessel or place from where the sample is taken.

To, प्रयोगशाला प्रभारी  
देशीय लायब्ररी  
मु.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अफिसर  
शिवपुरी जिला नगरपालिका

LEGAL NOTICE

पंचनामा

आज दिनांक - 17.12.2024 को जिवपुरी नगरिय  
निकाय के क्षेत्रगत प्रवाही इष्टित जल नहरों चांद  
पारा क्षेत्र में मिलने से पूर्व हम सभी पंचों को  
समझ एकत्रित लिये राये - उक्त विधिक जल नहरों  
विच्छेदन हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
गवालियर प्रेषित करने के पूर्व सीक्रेट किया गया।

नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी श्री योगेश शर्मा - डी.पू.  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से श्री के.वी. शर्मा उपस्थित  
रहे उक्त पंचनामा किया गया जो समय पर माय आवे।  
उक्त पंचनामा का विवरण निम्नानुसार है:

1. नगरपालिका जिवपुरी के इष्टित जल नहरों चांद पारा क्षेत्र में मिलने से पूर्व
2. नगरपालिका जिवपुरी के इष्टित जल नहरों चांद पारा क्षेत्र में मिलने के बाद

1. के.वी. शर्मा  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

2. योगेश शर्मा  
नगर पालिका जिवपुरी  
उपस्थित

3. सुरेश राठौर  
नगर पालिका जिवपुरी

4. अशोक शर्मा

5. रमेश चंद्र शर्मा  
नगर पालिका जिवपुरी

97

**FORM X**  
**REPORT BY THE STATE BOARD ANALYST**  
( See Rule 31 )

Report No : 768  
Dated : 17/12/2024

I hereby certify that I, (I) Shri D.K. Sharma " Jr. Scientist " State Board analyst duly appointed under sub-section (3) of section 53 of the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act, 1974 ( 6 of 1974 ) received on the (II) 17<sup>th</sup> December, day, Tuesday, 2024 from (III) Shri K.B. Sharma " Lab Asstt. " a sample of Water Sample of नगर पालिका शिवपुरी क्षेत्र का दूषित जल/खल जलवा चांदपाटा झील में मिलने से पूर्व, करबला शरीफ के पास, शिवपुरी for analysis. The sample was in a condition fit for analysis reported below:-

I further certify that I have analysed the aforementioned sample, on (IV) 23.12.2024 and declare the result of the analysis to be as follows :-

- (V) 1. Appearance -Turbid , 2. Colour Sight Moddish 3. Odour Unpleasant, 4. PH 7.32, 5. Total Solids 1520.0 0mg/litre., 6. Dissolved Solid 1392.0 mg/litre., 7. Suspended Solid 128.0 mg/litre., 8. Chlorides 248.8 mg/litre., 9. BOD 40.0 mg/litre. 10. COD 196.0 mg/litre.,

The condition of the seals, fastening and container or receipt was as follows :-

Two Litre Plastic Jury can, whose mouth was sealed with chapdi received.

Signed This 23.12.2024

  
( Signature )  
( D.K. Sharma )  
( State Board Analyst )

(V) Sample Analysed as per Standard Method APHA

Remark :  Red Mark Indicated that the values are more than prescribed limit.

Address : Regional Laboratory,  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board, Colony, Deen Dayal Nagar,  
Gwalior


Copy to,


1- Member Secretary  
M.P. Pollution Control Board,  
E-5, Paryavaran Parisar , Arera Colony,  
Bhopal


2- Chief Municipal Officer,  
Nagar Palika Parishad Shivpuri (M.P.)


- 
- (I) Here write the full name of the State Board Analyst.  
(II) Here write the date of receipt of the Sample.  
(III) Here write the name of the Board of person of body of persons of officer from whom the sample was received.  
(IV) Here write the date of analyses.  
(V) Here write the details of the analysis and refer to the method of analysis. If the space is not adequate the details may be given on a separate sheet of paper.


हम निरस्त हैं पंचनामा सत्री के समक्ष आज दिनांक 19/12/2024 को यौत्रीय अधिकारी के मौखिक निर्देशानुसार लोक स्वास्थ्य मांफिडी (सीवर परिशोधना) एवं नगर पालिका शिवपुरी के साथ एसटीपी प्लांट, अक्वला, गौरी गबेरा कुण्ड के पास, वर्क फेक्ट्री के पास रामपुर नाले का निरीक्षण किया, निरीक्षण के समय लोक स्वास्थ्य मांफिडी के अधिकारी शिवपुरी की ओर से श्री राकेरा कुमार राहोरा, सहा. यंत्री, श्री आनंद शर्मा, सब इंजी. एवं नगर पालिका की शिवपुरी की ओर से सीवर परिशोधना इंजिनियर श्री सचिन चौहान, सहा. यंत्री के प्रतिनिधी श्री योगेश शर्मा, हेल्थ ऑफिसर उपस्थित हुए। निरीक्षण के दौरान सीवर लाइन प्लांट बन्द पास गंगा अक्वला एवं गौरी गबेरा कुण्ड के पास से होते हुए बिना किसी उपचार के प्रदूषित प्लम संरक्षक सागर में मिलते हुए पाया गया। लोक स्वास्थ्य मांफिडी से श्री राकेरा कुमार राहोरा के द्वारा बताया गया कि वर्क फेक्ट्री के पास से नाले का ड्रिपिंग काम पूर्ण हो चुका है लेकिन सीवर लाइन चौक होने के कारण नाले के पानी को ड्रामवर्ट नहीं किया गया है। वर्तमान में सचिनी पहले जैसी ही निर्मित है। श्री राकेरा राहोरा के द्वारा बताया गया कि लम्बे सीवर लाइन एवं एसटीपी संचालन के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब तक संचालित होवे। यह पंचनामा सत्री के सामने मौखिक श्रवण पर निरस्त किया एवं सत्री को धुन्ध सुझाया गया जो मौखिक वन्द काम आते।

  
Shubendu Singh AE  
MPPCB Ganga.

  
A.P. 19/12/2024  
PH-E Sewer project  
Subershiwपुरी

  
Arun Chandra  
SIC PH-E  
Project Shivपुरी

  
Ho NPPS  
YOGESH SHARMA

  
J.S. Yadav  
MPPCB Ganga



Skip to Navigation

Skip to Main Content

Site map

A-

A

A+

A

A

Language ▾



## Search Menu

CNR Number

Case Status

Court Orders

Cause List



Caveat Search



Location

Back

## District and Sessions Court, Shivpuri

## Case Details

Case Type	UN CR - UNREGISTERED-CRIMINAL		
Filing Number	3406/2024	Filing Date	08-07-2024
Registration Number	39/2024	Registration Date:	08-07-2024
CNR Number	MP33010038962024 (Note the CNR number for future reference)		<a href="#">View QR Code / Cause Title</a>

## Case Status

<b>First Hearing Date</b>	08th July 2024		
<b>Next Hearing Date</b>	24th December 2024		
<b>Case Stage</b>	<b>Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter</b>	<b>Sub Stage</b>	<b>Prosecution Evidence</b>
<b>Court Number and Judge</b>	41-V Civil Judge Class-II		

#### Petitioner and Advocate

- 1) Madhya Pradesh State Pradushan Niyamtran Board Throgh-Saloni Khemariya  
Advocate- Sunil Kumar Jatav

#### Respondent and Advocate

- 1) Nagar Palika Parishad Shivpuri
- 2) Keshav Sengar Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 3) Shailesh Avasthi, Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad Shivpuri
- 4) G.P. Bhargava Prabahr Nagar Palika Parishad
- 5) K.K. Pateriya CMO Nagar Palika Parishad Shivpuri
- 6) G.P. Bhargava Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 7) K.K Pateriya Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 8) C.P. Rai Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 9) G.P Bhargava Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 10) Ranveer Kumar Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad

#### Acts

<b>Under Act(s)</b>	<b>Under Section(s)</b>
Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974	25, 44, 45A

/ 0 |

### Case History

Judge	Business on Date	Hearing Date	Purpose of Hearing
I Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate	<u>08-07-2024</u>	14-09-2024	Miscellaneous matters not defined otherwise
I Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate	<u>14-09-2024</u>	15-10-2024	Miscellaneous matters not defined otherwise
I Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate	<u>15-10-2024</u>	24-12-2024	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter

### Case Transfer Details within Establishment

Registration Number	Transfer Date	From Court Number and Judge	To Court Number and Judge
39/2024	14-11-2024	6 - I Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate	41 - V Civil Judge Class-II

- [About Us](#)
- [Newsletter](#)
- [Forms for Advocates](#)
- [Help Videos](#)
- [Site map](#)
- [Contact Us](#)
- [Web Information Manager](#)

- [Terms and Conditions](#)
- [Copyright Policy](#)
- [Hyperlinking Policy](#)
- [Privacy Policy](#)
- [Accessibility Statement](#)
- [Screen Reader Access](#)
- [Disclaimer](#)





This site is designed, hosted and maintained by National Informatics Centre (NIC), Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India.

Content Reviewed and Updated on: 2 April 2024

Download eCourts Services App :



### Search Menu

- CNR Number
- Case Status
- Court Orders
- Cause List
-  Caveat Search
-  Location

Download eCourts Services App :  
back button

Do not use browser toolbar reload or

[Back](#)

## District and Sessions Court, Shivpuri

### Case Details

Case Type	UN CR - UNREGISTERED-CRIMINAL		
Filing Number	3406/2024	Filing Date	08-07-2024
Registration Number	39/2024	Registration Date:	08-07-2024

CNR Number	<b>MP33010038962024</b> (Note the CNR number for future reference)	<a href="#">View QR Code / Cause Title</a>
------------	--	--

#### Case Status

First Hearing Date	08th July 2024		
Next Hearing Date	24th December 2024 Date Not Updated		
Case Stage	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter	Sub Stage	Prosecution Evidence
Court Number and Judge	41-V Civil Judge Class-II		

#### Petitioner and Advocate

- 1) Madhya Pradesh State Pradushan Niyantaran Board Throgh-Saloni Khemariya  
Advocate- Sunil Kumar Jatav

#### Respondent and Advocate

- 1) Nagar Palika Parishad Shivpuri
- 2) Keshav Sengar Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 3) Shailesh Avasthi, Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad Shivpuri
- 4) G.P. Bhargava Prabahr Nagar Palika Parishad
- 5) K.K. Pateriya CMO Nagar Palika Parishad Shivpuri
- 6) G.P. Bhargava Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 7) K.K Pateriya Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 8) C.P. Rai Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 9) G.P Bhargava Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad
- 10) Ranveer Kumar Chief Muncipal Officer, Nagar Palika Parishad

Acts

Under Act(s)	Under Section(s)
Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974	25, 44, 45A

### Case History

Judge	Business on Date	Hearing Date	Purpose of Hearing
I Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate	<u>08-07-2024</u>	14-09-2024	Miscellaneous matters not defined otherwise
I Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate	<u>14-09-2024</u>	15-10-2024	Miscellaneous matters not defined otherwise
I Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate	<u>15-10-2024</u>	24-12-2024	Matter Relating to Recording of Evidence in Criminal Matter

### Case Transfer Details within Establishment

Registration Number	Transfer Date	From Court Number and Judge	To Court Number and Judge
39/2024	14-11-2024	6 - I Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate	41 - V Civil Judge Class-II

[About Us](#)

[Newsletter](#)

[Forms for Advocates](#)

[Help Videos](#)

[Site map](#)

[Contact Us](#)

[Web Information Manager](#)

[Terms and Conditions](#)

[Copyright Policy](#)

[Hyperlinking Policy](#)

[Privacy Policy](#)

[Accessibility Statement](#)

[Screen Reader Access](#)

[Disclaimer](#)

Email

---

**ATR by MP PCB filed in compliance of order dated 12.12.2024 in OA 164-2024**

---

**From :** Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>

Tue, Feb 11, 2025 12:34 PM

**Subject :** ATR by MP PCB filed in compliance of order dated 12.12.2024 in OA 164-2024

 1 attachment

**To :** abhayjainnu <abhayjainnu@gmail.com>, rashikanarain <rashikanarain@gmail.com>

**Cc :** parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>, harnengt <harnengt@gmail.com>, ED EPCO EPCO Bhopal <ed.epco@mp.gov.in>, Sanjay Shukla <psuaddmp@mpurban.gov.in>, dmshivpuri dmshivpuri <dmshivpuri@nic.in>, cmshivpuri@mpurban.gov.in, Field Director Madhav National Park <fdmnp.svp@mp.gov.in>, ro mppcbguna26 <ro.mppcbguna26@gmail.com>

Sir/Madam

Please find enclosed the ATR filed in OA 164-2024 (**Jagrat Agarwal v MOEF&CC & Ors.**) filed in compliance of order dated 12.12.2024. This mail may be treated as proof of service.

Regards

Legal Section

MP PCB

---

 **ATR in 164-2024 CZ in compliance of order dated 12.12.24.pdf**

6 MB

---